मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 42 अंक: 32 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 7 – 13 अगस्त 2022 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

राजनीतिक प्रस्ताव का प्रारूप...3–14

भाजपा–आरएसएस को हटाने के लिए एकजुट हो वामपंथ

नई दिल्ली: यह प्रेस बयान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव का प्रारूप जारी करने के लिए 29 जुलाई 2022 को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जारी किया गया:

राजनीतिक प्रस्ताव संक्षेप में

भाकपा की 24वीं पार्टी कांग्रेस 14 से 18 अक्टूबर 2022 को विजयवाडा, आन्ध्र पद्रेश में होने जा रही है। भाकपा की पार्टी कांग्रेस प्रत्येक तीन सालों में आयोजित की जाती है परंतु परंतु दुनिया भर में कोविड–19 के फैलने के कारण हम अपनी पार्टी कांग्रेस आयोजित नहीं कर पाये और यह अब होने जा रही है। हमारी पिछली पार्टी कांग्रेस के बाद से आरएसएस की राजनीतिक शाखा भाजपा ने केन्द्र की सत्ता में फिर से वापसी की है। पिछले कुछ साल हमारे संसदीय लोकतंत्र पर हमले, अल्पसंख्यकों से भेदभाव, एससी, एसटी और महिलाओं के अधिकारों में अतिक्रमण, ध्रुवीकरण, निजीकरण और हमोर संविधान को कमजोर करने की खुली कोशिश के साक्षी रहे हैं। भाजपा सरकार लगातार नव–उदारवादी क्रोनी कैपिटलिज्म को आगे बढ़ा रही है, जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष 1 प्रतिशत आबादी के पास धन का अभूतपूर्व संकेंद्रण हुआ है। लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को खत्म करने वाली कोविड–19 महामारी के समय में कुप्रबंधन के कारण असमानता और बेरोजगारी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस ऐसे समय में हो रही है जब पूरी दुनिया साम्राज्यवादी हमले के गंभीर दौर से गुजर रही है, पूंजीवाद का गहराता व्यवस्थागत संकट, साम्राज्यवादी ताकतों के बीच बढ़ता अंतर्विरोध, विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतों के बीच बढ़ता एलाइंमेंट और रिएलाइंमेंट, स्थानीय युद्ध, आक्रमण, व्यवसाय, धमकी और बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति। कोविड–19 संकट ने फिर से पूंजीवाद के अंतर्निहित अंतर्विरोधों को सामने ला दिया और एक निजीकृत स्वास्थ्य प्रणाली वाले देश महामारी से पहले चरमरा गए। महामारी के दौरान अनुभव की गई जीवन की हानि, आजीविका, अराजक परिस्थितियों के दीर्घकालिक सामाजिक परिणाम होंगे, उदाहरण के लिए यूनेस्को के अनुसार, दुनिया में 90 प्रतिशत बच्चों ने अपनी शिक्षा में व्यवधान का सामना किया। हालांकि, कारपोरेट फार्मास्युटिकल लॉबी ने इस अराजक स्थिति का पूरा फायदा उठाया और लोगों के दुर्भाग्य से भारी मात्रा में सुपर–प्रॉफिट हासिल किया। नौ नए अरबपति बड़े फार्मा इजारेदारों द्वारा बनाए गए जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय कोविड के टीके का उत्पादन किया। हमारा पड़ोस भी अशांत और अस्थिर है क्योंकि नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश भी गहरे आर्थिक संकट राजनीतिक संकटों की ओर बढ़ रहे हैं। धार्मिक कट्टरता, अति–राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यकों और हाशिए के वर्गों के खिलाफ नफरत का खतरा बढ़ रहा है।

भारत भी विश्व के घटनाक्रमों से अछूता नहीं है। कोविड़–19 महामारी और इसके कुप्रबंधन ने देश में कहर बरपाया है। इससे सबसे बुरी तरह से पीड़ित समाज के गरीब तबके थे जिन्हें आजीविका का नुकसान हुआ और उन्हें गलत और संक्षिप्त लॉकडाउन के कारण सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ा। दवाओं, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक चीजों तक लोगों की दुर्दशा ने विकास के सभी लंबे दावों को खारिज कर दिया। बेरोजगारी लगभग 25 प्रतिशत के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गई और श्रम बल की भागीदारी दर गिर गई, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए घटनाओं की एक विनाशकारी श्रृंखला शुरू हो गई, जो अभी तक महामारी से उबर नहीं पाई है। कोविड़–19 संकट ने निस्संदेह यह साबित किया कि वामपंथ ही वह एकमात्र राजनीतिक ताकत है, जो शासन का एक स्थायी और जन–समर्थक मॉडल दे सकती है। दक्षिणपंथी नीतियां लाभ और लालच पर आधारित हैं जबकि वामपंथी मॉडल निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने वाला है। केरल में, महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकास मॉडल का पुनर्निर्माण किया गया। इसकी सफलता की पूरे देश में सराहना हुई और इसे कई अंतरराष्ट्रीय मंचों से भी सराहना मिली।

1990 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप देश में आय और अवसरों की अभूतपूर्व असमानता हुई। इस प्रवृत्ति को नवीनतम ऑक्सफैम रिपोर्ट में दर्शाया गया है जिसका शीर्षक 'असमानता से हत्या' था, जिसमें बताया गया कि भारत में 100–अरबपतियों के पास देश के सबसे गरीब 55 करोड़ लोगों की तुलना में अधिक संपत्ति है। सार्वजनिक क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का ठोस आधार है जिसने देश को औपनिवेशिक चंगुल से आजादी मिलने के बाद मुख्य क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनने में सक्षम किया। ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण नीतियों के माध्यम से अवसर और प्रतिनिधित्व मिला। मोदी के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से खत्म करना नवउदारवाद पर वैचारिक निर्भरता का ही परिणाम है, जिससे क्रोनिज्म को तगडी खुराक मिल रही है जिससे कि हमारी आर्थिक संप्रभुता को खतरा है और सामाजिक न्याय के विचार को भी इससे मात मिल रही है। बिना किसी सामाजिक जिम्मेदारी के बहुराष्ट्रीय दिग्गज कार्पोरेट हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं। हमारे जंगल, खदानें, नदी और खेत उनके शोषण के लिए उपलब्ध हैं। मुनाफे की तलाश में पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। पूंजीवाद ने अपना जाल फैला लिया है और वह हमारे जीवन पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है। हाल ही में वापस लिए गए कृषि कानून इस मामले का ही एक प्वाइंट हैं। कृषि कानूनों का उद्देश्य ग्रामीण भारत को कारपोरेट्स को एक थाली में परोसना था। विनिर्माण और सेवाओं के गहन पूंजी वाले क्षेत्रों के बाद, पूंजीवाद देश में कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर हावी होने की उम्मीद कर रहा है। देश के बेरोजगार और निराश युवक–युवतियां बेचैन हैं। हमने रोजगार के मुद्दों पर बड़े पैमाने पर विरोध देखा है। हाल ही में, सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए ठेके पर अग्निपथ योजना की घोषणा की। यह देश के युवाओं से किए गए वादों के विश्वासघात से कम नहीं है।

2019 में भाजपा को मिले नए जनादेश ने हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडे को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए भाजपा–आरएसएस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है। आरएसएस–भाजपा अब अधिक आक्रामक हैं और उन्होंने हमारे धर्मनिरपेक्ष संसदीय लोकतंत्र को सत्ता और अधिकार के अभूतपूर्व केंद्रीकरण के साथ एक निर्वाचित निरंकुशता में प्रभावी रूप से बदल दिया है। संवाद और बहस के प्रति आरएसएस–भाजपा की उपेक्षा संसद और न्यायपालिका जैसे संवैधानिक संस्थानों सहित विभिन्न संस्थानों को कमजोर करने के उनके प्रयासों में दिखाई देती है। दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के तुरंत बाद, भाजपा सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को एकतरफा रूप से रद्द कर दिया, जिसने जम्मू–कश्मीर को सबसे गंभीर और अलोकतांत्रिक तरीके से प्रभावित किया। दिसंबर 2019 में, भाजपा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 लेकर आई, जो धर्म के आधार पर नागरिकता देने या अस्वीकार करने के आधार पर हमारे गणतंत्र की धर्मनिरपेक्ष नींव को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करता है। हर दूसरे दिन, आरएसएस–भाजपा सांप्रदायिक रूप से आरोपित ध्रुवीकरण के मुद्दे उठा रहे हैं। चाहे वह लव जिहाद हो या हिजाब विवाद, वे हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को अल्पसंख्यकों के लिए घृणा से भरे एक लोकतांत्रिक प्रणाली में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में घरों की बुलडोजिंग और अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को अवैध और असंवैधानिक रूप से निशाना बनाने की प्रवृत्ति इसका एक उदाहरण है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भारत के विचार पर हमला राज्य संरक्षण में पूरी शक्ति से लगातार जारी है। हमारे संविधान में राज्य–केन्द्र संबंधों की संरचना को ठीक से परिभाषित किया गया है। हमारे संविधान में केंद्र–राज्य संबंधों के लिए एक सुपरिभाषित संरचना है। संविधान निर्माताओं ने भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हमारे लोगों की विविधता और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक संघीय ढांचे की व्यवस्था की, लेकिन एक संगठन के रूप में आरएसएस इस विविधता का विरोधी है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थान के बारे में उनका विचार अखंड बना हुआ है और हमारे देश की सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को वे सपाट करना चाहते हैं। आरएसएस पूरे देश में व्यवस्थित रूप से अल्पसंख्यकों पर हमला कर रही है और अब उनके साथ भेदभाव करने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। भाजपा का वैचारिक स्रोत, आरएसएस एक ब्राह्मणवादी मनुवादी संगठन है, जो चतुर्वर्ण, समाज के चौगुने विभाजन और लोगों के बीच उंच नीच के पदानुक्रम में विश्वास करता है। नतीजतन, आरएसएस की सरकार के सत्ता में आने के बाद दलितों पर हमले और संस्थागत भेदभाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। संविधान की पांचवीं अनुसूची और पेसा अधिनियम का ढुलमुल कार्यान्वयन आदिवासी आबादी के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले

शेष पेज 15 पर...

तिरंगे को सलाम

संपादकीय

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर शासक पार्टी भाजपा की तरफ से असाधारण पहलकदमियां देखने में आ रही हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए वह जोर–शोर से कोशिशें कर रहे हैं।

भारत के इतिहास की जरा–सी भी समझ रखने वाला हरेक व्यक्ति जानता है कि भाजपा के मातृ–संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उससे जुड़े किसी संगठन की स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं रही। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आरएसएस के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध तमाम ताकतों ने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष से अपने आपको दूर रखा। उन्होंने उसे एक राजनीतिक कवायद का नाम दिया जो उनके सांस्कृतिक संगठन के लिए कोई सरोकार नहीं रखता था। वे राष्ट्रीय ध्वज को छूते तक नहीं थे। स्वतंत्रता के झंडे–तिरंगे ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो जन उभार पैदा किया था और इस झंडे को हाथ में उठाकर जब जनसमूह निकला करते थे तो उनमें आरएसएस और उसके अनुयायी कभी नहीं देखे गए।

स्वतंत्रता के दशकों बाद भी अपने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों के प्रति समर्थक दृष्टिकोण के बारे में उन्होंने कभी कोई फिक्र नहीं की। जब देश की समूची आबादी ने 15 अगस्त 1947 को आजादी का उत्सव मनाया और तिरंगा फहराया, तो वह उससे दूर रहे। स्वतंत्रता के बाद 52 वर्षों तक आरएसएस–भाजपा ने कहीं भी अपने कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया। इस संबंध में उनकी अपनी अजीबोगरीब व्याख्या थी। अब उनमें एक नई समझ आ गई है और लगता है कि आरएसएस और भाजपा राष्ट्रीय झंडे का उत्सव मनाने के लिए अति–उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं जनता से अपील की है कि 13 अगस्त से ही स्वतंत्रता दिवस उत्सव मनाना शुरू कर दें। 22 जुलाई को उन्होंने यह बताने में बड़ी दिलचस्पी ली कि इसी तारीख को 1947 में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर मंजूर किया गया था। प्रधानमंत्री ने तमाम भारतीयों से चाहा कि हरेक घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरायें। राष्ट्रीय ध्वज का उत्सव मनाने के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम बनाए। तिरंगे झंडे को बड़ी संख्या में बनाने के लिए भारत की ध्वज संहिता में उपयुक्त संशोधन किया गया। रिपोर्ट है कि भारतीय झंडे की सुचारू उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी मात्रा में पोलिस्टर कपड़े का चीन से आयात किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी साबितशुदा महारत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया इतिहास लिखने की दिशा में काम कर रही है। इतिहास के पुनर्लेखन का मतलब वास्तविक तथ्यों को छुपाना और भाजपा की पसंद के एक नये इतिहास को शानदार तरीके से पेश करना है।

जब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीन रंग के झंडे को राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक के तौर पर अपनाया, तिरंगे ने उसी समय से, 1931 से ही भारत के दिल में जगह बना ली थी। आरएसएस के संस्थापक नेताओं ने शुरू से ही तिरंगे पर आरएसएस की आपत्तियां उठाना शुरू कर दिया था। हेडगेवार और गोलवलकर ने राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ आरएसएस के निंदा–अभियान की अगुआई की। वे भगवा झंडे की वकालत कर रहे थे जिसके मध्य में ''ओम्'' लिखा हो। उनकी दलील थी कि उनका झंडा भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है। उनके अनुसार, भगवा झंडा, जो महाभारत के समय से ही भारत के मंदिरों में फहराया जाता रहा है, वही देश के लिए स्वाभाविक झंडा होना चाहिए। जनवरी 1931 में जब कांग्रेस ने तिरंगा फहराने की अपील की तो आरएसएस खुलकर उसके विरोध में आया। पहले सर संघ संचालक हेडगेवार ने सभी शाखाओं को तिरंगे के बजाय भगवा झंडा फहराने का निर्देश जारी किया। अपने पूरे इतिहास में आरएसएस राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में अपना एक समानान्तर दृष्टिकोण रखता आया है और राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में उनका मतभेद उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था।

14 जुलाई 1946 को नागपुर में स्वयंसेवकों के एक सम्मेलन में गोलवलकर ने आह्वान किया: ''यह भगवा झंडा ही है जो समग्रता में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह भगवान का मूर्तरूप है। हमारा पक्का विश्वास है कि अंत में पूरा राष्ट्र राष्ट्रीय ध्वज के सामने सम्मान से सिर झुकाऐगा।''। अपनी पुस्तक ''विचार नवनीत''(बंच ऑफ थॉट्स) में शामिल ''शाश्वत आधार'' नामक लेख में उन्होंने लिखा है– ''उदाहरण के लिए हमारे नेताओं ने हमारे देश के लिए एक नया झंडा तय किया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? यह महज भटक जाने और नकल करने का मामला है।..... यह झंडा किस तरह अस्तित्व में आया। फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांसीसियों ने ''समानता'', ''बंधुत्व'' और ''स्वतंत्रता'' के तीन विचारों को व्यक्त करने के लिए अपने झंडे पर तीन रंग की पट्टियां लगाई थी.....अतः हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी तीन पट्टियां एक किस्म का सम्मोहन रखती हैं।.....अतः कांग्रेस ने उसे अपना लिया। फिर इसकी व्याख्या तीन समुदायों–हिन्दुओं के लिए भगवा रंग, मुस्लिमों के लिए हरा रंग और अन्य सभी समुदायों के लिए सफेद रंग–की एकता को प्रदर्शित करने के तौर पर की गई। गैर–हिन्दू समुदायों में से, मुस्लिमों का खास तौर पर नाम लिया गया क्योंकि प्रख्यात नेताओं में से अधिकांश के दिमाग में मुस्लिम हावी था और उसका नाम लिए बगैर वे नहीं समझते कि हमारी राष्ट्रीयता पूर्ण हो सकती है''।

उपरोक्त सांप्रदायिकतापूर्ण जहरीली भ्रान्त–व्याख्या में तिरंगे के प्रति आरएसएस का दृष्टिकोण स्पष्ट नजर आता है। तिरंगा जिन वास्तविक एवं देशभक्तिपूर्ण विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, वे जानबूझकर उससे अपनी आंखें चुराते हैं। घृणा के दर्शन में शिक्षित एवं प्रशिक्षित वे हमेशा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एक किस्म की प्रतिहिंसा की भावना रखते आए हैं। इसके रंग भारतीय समाज की एकता एवं विविधता के सूचक हैं। एक महान राष्ट्र की महान जनता जिन मूल्यों की सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं दार्शनिक सुन्दरता को अंगीकार करती है, वह राष्ट्रीय ध्वज में आत्मसात है।

हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिस लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है, आरएसएस–भाजपा उससे हमेशा एक भावनात्मक एवं राजनीतिक दूरी बनाते आए हैं। आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में उन्होंने तिरंगा झंडा पहली बार 2002 में फहराया था जब अटलबिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अनेक अवसरों पर भाजपा के नेता राष्ट्रीय झंडे के प्रति निरादर प्रदर्शित करते आए हैं और भारत की ध्वज संहिता का उल्लंघन करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के राज्यपाल के अंतिम संस्कार के समय राष्ट्रीय झंडे के आधे हिस्से को भाजपा के झंडों से ढका हुआ देखा गया। प्रधानमंत्री समेत आरएसएस–भाजपा के किसी भी बड़े नेता को ध्वज संहिता के इस तरह उल्लंघन की कोई चिंता नहीं थी। अब वह तिरंगे की प्रशंसा में दिनरात गीत गाते नजर आते हैं। लोग इसका कारण जानते हैं। आरएसएस–भाजपा के अपने भगवा सपने हैं जिन्हें वह फिलहाल तिरंगे से ढके रखना चाहते हैं। उनके लिए हरेक बात प्रचार के लिए होती है। राष्ट्र, राष्ट्रीय लोकाचार, राष्ट्रीय झंडा– इन्हें केवल एक मकसद से प्रोजेक्ट किया जा रहा है–राजनीतिक खेल और सत्ता से चिपके रहना।

राष्ट्रीय झंडा, जिन्दाबाद!

8–9 अगस्त को प्रलेसं दिल्ली इकाई का दो दिवसीय आयोजन

अमृत महोत्सव के दौर में प्रतिरोध

जाहिद खान

दिल्ली: 'अमृत महोत्सव के दौर में प्रतिरोध' आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक विषय पर प्रगतिशील लेखक संघ की दिल्ली इकाई 8 और 9 अगस्त को दो दिवसीय आयोजन कर रही है। जिसमें चार सत्रों में अलग अलग विषयों पर विचार गोष्ठी, कविता पाठ और समकालीन कथा साहित्य पर परिचर्चा होगी। जिसमें उत्तर भारत के प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। राजधानी दिल्ली के एवाने गालिब ऑडिटोरियम में 8 अगस्त को सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर इस भव्य आयोजन का उद्घाटन होगा। उद्घाटन सत्र के अध्यक्षमंडल में प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विभूति नारायण राय, राष्ट्रीय महासचिव सुखदेव सिंह सिरसा, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राजेन्द्र राजन, लेखक राजेन्द्र शर्मा शामिल हैं। वहीं उद्घाटन वक्तव्य वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक पी. साईनाथ का होगा। स्वागत भाषण वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी और कार्यक्रम का संचालन मिथिलेश करेंगे।

वहीं इस दो दिवसीय आयोजन का धन्यवाद ज्ञापन फरहत रिजवी देंगी। गौरतलब है कि दिल्ली प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष फिलवक्त रामशरण जोशी और महासचिव फरहत रिजवी हैं। वहीं इस पूरे आयोजन के संयोजक कथाकार ज्ञान चन्द बागड़ी हैं।

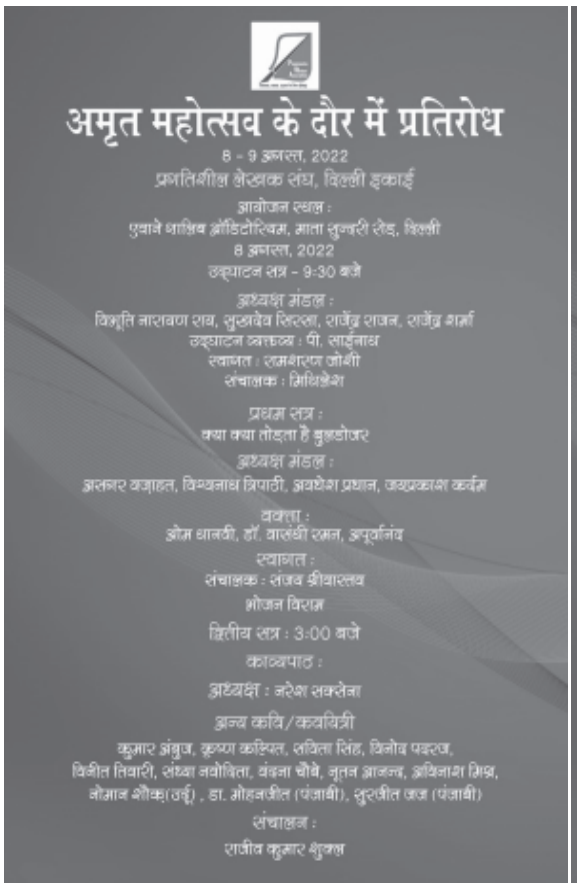

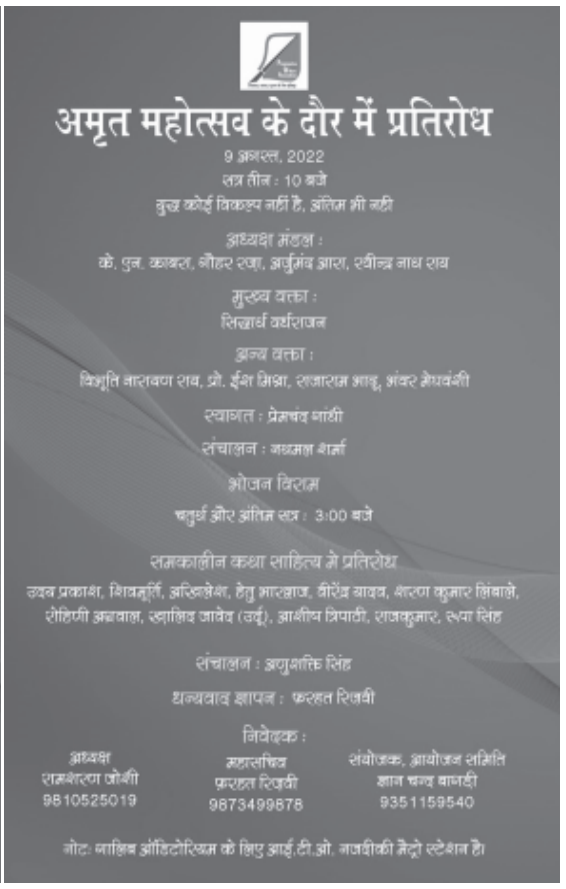

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कांग्रेस (14 से 18 अक्तूबर 2022, विजयवाड़ा)

राजनीतिक प्रस्ताव का प्रारूप

भाकपा की राष्ट्रीय परिषद बैठक, 15 से 17 जुलाई 2022, नई दिल्ली, में पारित प्रस्ताव

विषय प्रवेश

1. कोल्लम (केरल) में हमारी पार्टी की 23वीं कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अनेक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस का आयोजन तीन साल के अन्तराल पर किया जाता है परंतु विश्व भर में कोविड–19 महामारी के कारण हम समय पर कांग्रेस का आयोजन नहीं कर सके। महामारी के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त होने के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस एक साल के विलंब के बाद हो रही है।

2. हमारी पिछली कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी मई 2019 में पहले से अधिक सीटों और मतों से फिर से केंद्र में सत्ता में आ गयी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पुडुचेरी में अपनी 22वीं कांग्रेस में सही ही नोट किया था कि ''लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत राजनीति में एक निश्चित दक्षिणपंथी बदलाव की और बढ़ने को चिन्हित करता है''। वह कथन सच हो गया है क्योंकि लगातार दूसरी बार केंद्र में सत्ता पर कब्जा करने के बाद भाजपा–राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गठजोड़ हिन्दू राष्ट्र के अपने एजेंडे पर और अधिक आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है।

3. पिछले चंद वर्षों में हम हमारे संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र पर बड़े हमले, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, अनु.जातियों, अनु.ज.जातियों एवं महिलाओं के अधिकारों का अतिक्रमण और हमारे संविधान के साथ खुल्लमखुल्ला भीतरघात होते देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने निम्न और मध्य–आय समूहों पर निर्दयतापूर्ण हमले का अख्तियार कर लिया है। विभिन्न किसान–विरोधी, मजदूर विरोधी कानून बनाकर भारत के किसानों और मजदूरों पर भारी हमला किया गया है। सब्सिडी में कमी, लगातार जारी कर्ज का बोझ और न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिल पाने के फलस्वरूप किसानों द्वारा आत्महत्या भारतीय कृषि की एक मुख्य बात बन गयी है।

4. भाजपा सरकार नव उदारवादी याराना पूंजीवाद (क्रोनी केपिटलिज्म) का लगातार अनुसरण करती रही है जिसके फलस्वरूप आबादी के शीर्षस्थ 1 प्रतिशत के पास धन–दौलत का अभूतपूर्व संकेन्द्रण हो गया है। असमानता बढ़कर चिन्ताजनक स्तर पर पहुंच गयी है और कोविड–19 महामारी के कुप्रबंधन के कारण लाखों लोगों की रोजी–रोटी खत्म हो चुकी है। कोविड–19 के दबाव में हमारा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा चरमरा गया है। मोदी सरकार के दौरान भारत भूख, गरीबी, शिक्षा तक पहुंच, प्रेस की स्वतंत्रता आदि के सूचकांकों में लगातार गिरावट दर्ज करता रहा है। मुनाफों के लिए पूंजीवाद की तलाश पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही है और सरकार उसे अनदेखा करती है। राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य है वह हिन्दुत्व राज स्थापित करने और ध्रुवीकरण की घनघोर कोशिशों का है।

5. ये तमाम घटनाक्रम साम्राज्यवाद–प्रेरित एवं चालित पूंजीवाद के नव–उदारवाद आर्थिक लक्षणों और विश्वभर में उसके नकारात्मक परिणामों की भूमंडलीय परिघटना के साथ गहरे तौर पर जुड़े हैं।

दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं

1. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस एक ऐसे समय में हो रही है जब समूची दुनिया साम्राज्यवादी हमले, पूंजीवाद के गहराते व्यवस्थागत संकट, साम्राज्यवादी ताकतों के बीच बढ़ते अन्तर्विरोध, विभिन्न ताकतों के बीच क्षेत्रीय एवं भूमंडलीय स्तर पर कतारबंदी एवं पुनः कतारबंदी, स्थानीय युद्धों, आक्रमण, कब्जा करने, डराने–धमकाने और बिगड़ते पर्यावरण हालात के गंभीर दौर से गुजर रही है। मगर ये बातें पूंजीवादी–साम्राज्यवादी ताकतों के मजबूत होने का निशान नहीं हैं। इसके विपरीत, ये बातें उस गहरे संकट को दर्शा रही हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय वित्तपूंजी गुजर रही है।

2. इस संकट से स्वयं को निकालने के लिए साम्राज्यवाद विश्व भर में हर कहीं अलग–अलग किस्म के आपराधिक कुचक्रों–षड़यत्रों और झगड़ों की साजिशें रच रहा है। इन सबकी योजना इस तरह बनायी जाती है कि उससे दुनिया भर के लोगों पर बुरी तरह असर पड़ता है। कोरोना महामारी ने 57 करोड़ लोगों पर सीधे तौर पर प्रभाव डाला जिनमें से 64 लाख के लगभग लोगों की मृत्यु हो गयी। मानव संसाधन की इस भारी क्षति के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र, विशेष तौर पर अलग–अलग देशों के आर्थिक क्षेत्र, को अत्यंत नुकसानदेह झटका लगा जिससे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गयी। बच्चों की शिक्षा को भारी नुकसान पहुंचा। यूनेस्को के अनुसार, विश्व के 90 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा में अवरोध पैदा हुआ।

3. परंतु कारपोरेट फार्मास्युटिकल लॉबी ने इस अस्तव्यस्त

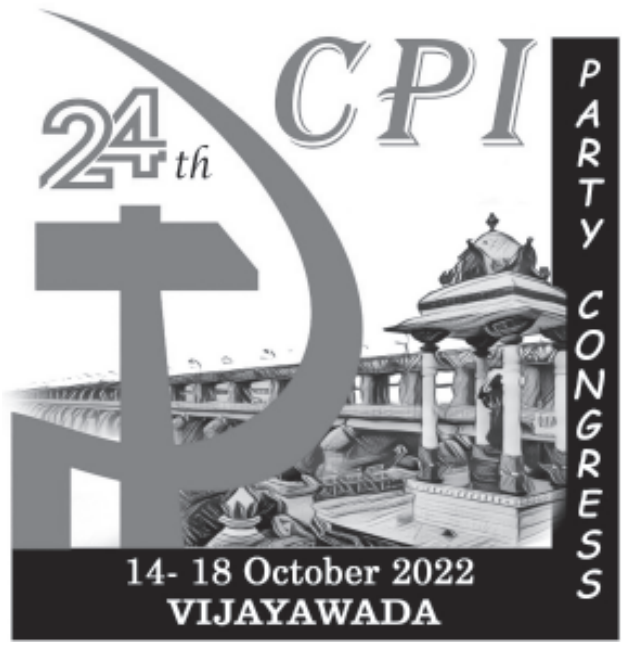

स्थिति का पूरा फायदा उठाया। जनता की मुसीबत का फायदा उठाते हुए उन्होंने जबर्दस्त सुपर–मुनाफे कमाये। आकंड़ों के अनुसार, जिन फार्मा –इजारेदारियों ने कोविड वैक्सीन का उत्पादन किया उनमें से नौ नए भूमंडलीय बिलियनर (खरबपति) बन गए।

4. चीन, क्यूबा और वियतनाम जैसे समाजवादी देश ही थे जो इस झटके से बच सके और अपनी जनता परस्त नीतियों के बल पर अपने नागरिकों को बचा सके। पूंजीवाद अभी तक 2008 की भूमंडलीय आर्थिक मंदी से बाहर नहीं आ सका है और अनेक कदम उठाने के बावजूद हालात में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है।

5. महामारी से पहले, भूमंडलीय जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दर 2.8 प्रतिशत थी, जो कोविड–19 की स्थिति के दौरान लॉकडाउन आदि के कारण 2020 में भारी तौर पर गिरकर नकारात्मक 4.4 (–4.4) प्रतिशत पर आ गयी। यहां तक कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन में जिस स्टिमुलस (प्रोत्साहन) पैकेज ने शेयर बाजार में उछाल पैदा कर दिया था, उसने दबे–कुचले लोगों और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन को ऊपर उठाने में नगण्य योगदान किया। बेरोजगारी और वेतन कटौतियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई–यहां तक कि विकसित देशों में भी।

6. ऐसी स्थिति में साम्राज्यवाद ने युद्धों और सशस्त्र टकरावों पर अपनी उम्मीदें बांध रखी हैं। भूमंडलीय वर्चस्व बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों में आक्रामक हस्तक्षेप की अमरीकी साम्राज्यवाद की लगातार कोशिशें इसका एक सबूत हैं। सैन्य–औद्योगिक गठजोड़ (मिलटरी–इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स) आज विश्व व्यापी स्तर पर रक्षा खर्च में वृद्धि के साथ अस्थिरता और युद्ध के इन दिनों में जबर्दस्त मुनाफे कमा रहा है।

7. यूक्रेन और रूस के बीच हाल का सशस्त्र टकराव अमरीकी साम्राज्यवाद के हस्तक्षेप का एक खास उदाहरण है। अमरीका रूस की जनता की ताकत को कमजोर करने के लिए लंबे समय से हर संभव तरीके से कोशिश करता रहा है। परंतु सोवियत संघ के विघटन के बावजूद वह रूसी बाजार को अपने नियंत्रण में लाने में कामयाब नहीं हो सका है, अतः रूसी फेडरेशन की समूची राजनीतिक–आर्थिक बुनियाद को कमजोर करने के लिए उसने यूक्रेन को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है।

8. नाटो के कुटिल गठबंधन में यूक्रेन को शामिल करने का सुझाव देकर अमरीका ने रूस के खिलाफ युद्ध की साजिश रची। अमरीका ने यूक्रेन को रूसी सीमा की तरफ बढ़ने और उसे अपने चौकीदार की तरह काम करने के लिए उकसाया। इस अंध एवं उद्धत–राष्ट्रवादी अपराध में यूरोपीय यूनियन भी एक पार्टनर है और ये दोनों मिलकर रूस को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमरीका के वर्चस्व में एक–ध्रुवीय विश्व की दिशा में एक उलटा कदम उठाया जा सके।

9. रूस–यूक्रेन युद्ध को रोका जाना चाहिए। यह विश्व समुदाय की एक अत्यावश्यक मांग है कि युद्ध को रोका जाए और टिकाऊ शांति के लिए काम किया जाए। युद्ध को तत्काल बंद किया जाना और भी अधिक महत्वपूर्ण है इस कारण, कि नाटो और रूस दोनों ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है, इस युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा वास्तविक एवं गंभीर है। ऐसी कोई घटना महाविनाशकारी होगी।

10. युद्ध को खत्म करने और स्थायी शांति हासिल करने के लिए कई कोशिशें हुई थीं। तुर्की के राष्ट्रपति की पहल पर रूस और यूक्रेन के विदेशमंत्री युद्ध खत्म करने के कुछ फॉर्मुलेशनों (सूत्रों) पर सहमत हुए थे। परंतु अमेरीका और यूरोपियन यूनियन के दबाव में यूक्रेन अंततः समझौता वार्ताओं से पीछे हट गया।

11. नाटो की हाल में आयोजित शिखर बैठक ने स्वीडन और फिनलैंड–जिनकी सीमाऐं रूस के साथ लगती हैं–को शामिल कर अपनी सदस्यता को बढ़ाया। नाटो का मैड्रिड घोषणापत्र रूस को किसी भी तरीके से कमजोर करने का खुलेआम आह्वान करता है और उसने रूस के साथ लगती सीमा पर 3,00,000 अतिरिक्त नाटो सैनिकों को जुटाने का फैसला किया है और वर्तमान झगड़े का कोई मैत्रीपूर्ण समाधान निकालने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच जो समझौता वार्ताएं शुरू हुई थी उन्हें बंद कर दिया। अमेरीका और नाटो चाहते हैं कि जब तक रूस को कमजोर करने का उनका मकसद पूरा हो, युद्ध जारी रहना चाहिए।

12. रूस–यूक्रेन युद्ध और यूरोप पर उसका असर साफ नजर आ रहा है। रूस के तेल एवं अन्य क्षेत्रों पर यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों का वार उलटा पड़ा। बल्कि मुद्रास्फीतियों, सभी आवश्यक वस्तुओं की ऊंची कीमतों–विशेष तौर पर तेल एवं गैस की कीमतों–और साथ ही यूक्रेन के शरणार्थियों के यूरोपीय यूनियन के देशों में प्रवेश ने न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक संकट भी पैदा कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के देशों के बीच की तथाकथित ''लौह–एकता'' थरथरा रही है।

साथियों से आग्रह है कि यदि राजनीतिक प्रस्ताव के प्रारूप पर उनके कोई सुझाव अथवा संशोधन हैं, पेज और पैरा संख्या को दर्शाते हुए, 10 अक्टूबर 2022 तक भेज दें

13. इस सशस्त्र टकराव ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के मुद्दे पर अमरीका, यूरोपीय यूनियन और नाटो के दोहरे मानदंड को भी बेनकाब कर दिया है। इराक, लीबिया और अफगानिस्तान इस बात के उदाहरण हैं कि उनके निर्देशों पर इन देशों पर किस तरह हमला किया गया और बर्बाद किया गया। आईएसआईएस एवं अन्य आतंकवादी संगठनों की मदद के द्वारा सीरिया में उनके हस्तक्षेप, फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल के अमानवीय कब्जे को उनके लगातार जारी समर्थन और संयुक्त राष्ट्र को किनारे पर रख पाबन्दियां लागू करने जैसे कदम समूचे पश्चिम एशिया को एक खतरनाक स्थिति में डाल रहे हैं।

14. सत्ता परिवर्तन की नीति लेटिन अमरीका में भी जारी है। शुरू में, अमरीका और उसके संगी–साथियों ने बोलिविया में एक कठपुतली सरकार को गद्दी पर बैठा दिया, पर अन्ततः यह चाल कामयाब नहीं हुई। मूवमेंट फॉर सोशलिज्म (समाजवाद के लिए आंदोलन) ने ताकत बना ली और वामपंथी एक बार फिर सत्ता में आ गए। फर्जी तौर पर गढ़े हुए आंदोलनों का आयोजन कर क्यूबा में भी इस तरह की कोशिशें की गयी, परंतु पूरी योजना अन्ततः असफल रही। क्यूबा की सरकार को जनता के जबर्दस्त व्यापक समर्थन और क्यूबा की क्रांति ने अमरीका के खतरनाक इरादों को नाकाम कर दिया । क्यूबा के खिलाफ आपराधिक नाकेबंदी आज भी जारी है जो क्यूबा के लोगों के दिन–प्रतिदिन के जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है परंतु जनता क्यूबा की सरकार और क्यूबा की क्रांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। वेनेजुएला और निकारगुआ भी अमरीकी हमलावरों का प्रतिदिन सामना कर रहे हैं और अपनी संप्रभुता एवं स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं जबकि चिली और कोलम्बिया जैसे अन्य लैटिन देश व्यापक जनसमर्थन से निर्वाचित वामपंथी सरकारों के नेतृत्व में अपने–अपने समाजों के लोकतांत्रिक रूपान्तरण की दिशा में आज आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांस में हाल में हुए चुनाव में वामपंथी गठबंधन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा।

15. नस्लवादी इजरायल के साथ खाड़ी एवं अरब शासकों की नई कतारबंदी मध्य–पूर्व की पहले से ही अत्यंत अस्थिर स्थिति को और जोखिम में डाल रही है और फिलिस्तीन की जनता के जीवन को खतरे में डाल रही है। अरब के देशों में से अधिकांश देश अपने संकीर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक हित के लिए अपनी स्वयं की स्वतंत्र मातृभूमि के लिए फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। पिछले छह वर्ष से यमन में जारी युद्ध विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है। लगभग दो करोड़ लोगों को तत्काल भोजन सहायता की जरूरत है। अभी तक 19,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। सीरिया ने अमेरीका और अन्य देशों द्वारा की जा रही साजिशों पर पार पा लिया है और राजनीतिक स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यद्यपि विभिन्न शत्रुतापूर्ण ताकतों की तरफ से धमकियां जारी हैं।

16. भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमरीका के बीच हाल में बने 12यू2 फ्रेमवर्क के निशाने पर मुख्यतः ईरान है और यह फ्रेमवर्क इस क्षेत्र में और अधिक झगड़े पैदा कर सकता है।

17. अफ्रीकी महाद्वीप भी महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता की रंगभूमि बन रहा है। अमेरीका ने अफ्रिकोम के जरिये वहां पहले ही अपनी उपस्थिति को बढ़ा लिया है। फ्रांस की सेना की उपस्थिति भी वहां पर है। और अब रूस भी अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है और कुछ स्थानों पर फ्रांस की सेनाओं को स्थानापन्न कर रहा है। नवीनतम उदाहरण चाड का है। बढ़ती इस्लामिक मिलिटेंसी के कारण नाइजीरिया, चाड एवं मोजाम्बिक में विनाशकारी परिणाम निकल रहे हैं।

18. चार परमाणु शक्ति वाले देशों–अर्थात भारत, चीन, पाकिस्तान और कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य–के साथ एशिया में स्थिति अधिकाधिक जटिल होती जा रही है। विभिन्न किस्म की सैन्य–संरचनाओं–जैसे कि एयूकेयूएस (इंडो–पेसेफिक में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस द्वारा बनाया गया एक ग्रुप), क्यूएडी (क्वैड–संयुक्त राष्ट्र अमरीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान–इन चार देशों को शामिल कर बनाया गया एक सामरिक मंच जिसका उद्देश्य एक मुक्त, खुले, संपन्न एवं समावेशी इन्डो–पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना बताया जाता है)–को बनाकर और ''एक खुले, समावेशी और नियम–आधारित इन्डो–पेसिफिक'' के नाम पर उनके सैनिक अड्डों में और अधिक अमरीकी फौजों को लामबंद कर–अमरीका हर तरह से चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस क्षेत्र में अनेक झगड़े चल रहे हैं जो निश्चय ही विभिन्न देशों के बीच युद्ध की शक्ल ले सकते हैं। विभिन्न झगड़ें –भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, दक्षिण ताइवान और चीन, जापान और चीन और जापान और रूस के बीच और साथ ही दक्षिण चीन सागर से जुड़े मुद्दे गंभीर चिंता के विषय हैं।

19. अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा फिर से राजनीतिक सत्ता पर कब्जा किए जाने का भी नोट लिया जाना चाहिए। अमरीका को अफगानिस्तान में एक शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा है। नई सरकार, 1990 की, पहले की तालिबान सरकार की नीतियों को जारी रखे हुए है। अफगानिस्तान केवल प्राकृतिक संसाधनों से ही समृद्ध नहीं है बल्कि भौगोलिक स्थिति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दक्षिण एशिया और यूरोप को बरास्ता मध्य एशिया जमीनी रास्ते से जोड़ता है। भूमंडलीय और क्षेत्रीय राजनीति में अफगानिस्तान के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः इसके भू–क्षेत्र को इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को खतरा पैदा करने के लिए किन्हीं आतंकवादी समूहों का पनाहगाह बनने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

20. रोहिंग्या संकट और म्यांमार के अराजकताग्रस्त होने से पहले वहां सांप्रदायिक तनाव, सामूहिक हत्याएं और बष्हिकरण हुए जिनसे इस क्षेत्र में सांप्रदायिक फूट के बढ़ते रूझान का पता चलता है। बड़ी संख्या में लोगों के सामूहिक पलायन के कारण शरणार्थी संकट और सेना द्वारा सत्ता का हड़पा जाना भी चिंता के विषय हैं।

21. इन बातों के साथ–साथ, दक्षिण एशिया के कुछ देशों में, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में, आर्थिक संकट धीरे–धीरे एक गहरे राजनीतिक संकट की दिशा में बढ़ रहा है। जनसाधारण की मांगों का समाधान करने में सरकारों की अनिच्छा का अक्सर नतीजा राज्य द्वारा दमन के रूप में निकलता है जो संबंधित देशों में विदेशी हस्तक्षेप के लिए बहाने का काम कर रहा है जिससे भू–राजनीतिक संकट और अधिक विकट हो जाता है।

22. इसके अलावा, एक तरफ बढ़ते धार्मिक उन्माद, अति–राष्ट्रवाद, अल्पसंख्यकों एवं हाशिये पर पड़े तबकों के खिलाफ नफरत का बढ़ता खतरा और दूसरी तरफ, कम्युनिस्ट विरोधी अभियान को जारी रखने के लिए इतिहास का पुनर्लेखन–ये बातें विश्व भर में बढ़ती हुई दक्षिणपंथी ताकतों की एक आम रणनीति रही है। वामपंथी और लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ संकेन्द्रित हमले जोर–शोर से हो रहे हैं।

23. जन आंदोलनों और विरोध कार्रवाईयों को कुचलने के लिए साम्राज्यवादी आज इन्फार्मेशन बूम का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैज्ञानिक–तकनीकी क्षेत्र और सूचना संचार (इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन), विशेषकर आर्टिफिशिल इन्टेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में जबर्दस्त प्रगति को लोकतांत्रिक आंदोलनों के नेताओं और आयोजकों के खिलाफ जासूसी करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जा रहा है। पूंजीवाद ने वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और अब वह आर्टिफिशिल इन्टेलिजेंस का उसी तरह इस्तेमाल करने के तौर–तरीके खोज रहा है। इन नयी खोजों को मजदूर वर्ग और अन्य श्रम शक्तियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है।

24. इस भूमंडलीय परिदृश्य में विभिन्न क्षेत्रीय ताकतों के प्रादुर्भाव और क्षेत्रीय आर्थिक विकास एवं क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य मुद्दों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनके बीच सहयोग और उनके एकीकरण ने पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), बोलिवियन एलायन्स फॉर द पीपुल ऑफ आवर अमरीका–पीपुल्स ट्रेड ट्रीटी (एएलबीए–टीसीपी) जैसे अन्तर–सरकारी संगठन एक प्रकार से साम्राज्यवादी साजिशों को चुनौती दे रहे हैं।

25. विश्व भर में नव–उदारवादी आर्थिक हमले के खिलाफ, हर किस्म के शोषण के खिलाफ, मानवीय एवं लोकतांत्रिक अधिकारों, महिला अधिकारों, हाशिये पर पड़े तबकों के अधिकारों के संबंध में, बेहतर शिक्षा एवं रोजगार के लिए, युद्ध, आक्रमणों एवं अमानवीय नाकेबंदी के खिलाफ और शांति एवं न्यायसंगत विश्व व्यवस्था के लिए व्यापक संघर्ष चल रहे हैं। इन संघर्षों पर ध्यान देना होगा। सफलताओं की एक लंबी सूची बनायी जा सकती है, विशेष तौर पर लैटिन अमरीका में जहां चिली हाल का एक सकारात्मक उदाहरण है।

26. जबकि पूंजीवादी देश बड़े संकट में हैं, समाजवादी एवं जन लोकतांत्रिक देश–चीन, वियतनाम, क्यूबा, लाओस, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य–एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसे प्रेरणाप्रद समझा जा सकता है।

27. चीन, जो पिछले सात दशकों से साम्राज्यवादी खेमे द्वारा लगातार प्रहारों एवं बाधाओं का शिकार होता रहा है, ने घोषणा की है कि उसने चरम गरीबी को अपने नक्शे से सफलतापूर्वक मिटा दिया है। उसने उच्च जीडीपी वृद्धि दर हासिल की है और एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो सभी के लिए रहन–सहन के काफी अच्छे स्तर के साथ सामान्य रूप से सम्पन्न है। वियतनाम भी बहुविध उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास के तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। उसकी औसत पांच वर्ष जीडीपी वृद्धि दर लगभग 6.5–7 प्रतिशत प्रतिवर्ष पहुंचने वाली है।

28. श्रीलंका का आर्थिक संकट एक राजनीतिक संकट में बदल गया और जबर्दस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों को त्यागपत्र देने पड़े। सजातीय राष्ट्रवाद (एथनिक नेशनलिज्म), तानाशाही और सत्ता के केंद्रीकरण की दिशा में मुड़ना–ये बातें इस द्वीप–राष्ट्र के लिए विनाशकारी साबित हुई, और यह देश जबर्दस्त संकट में है। सत्तासीन राष्ट्रपति के देश से भाग जाने के बाद, संकट से निपटने के लिए एक नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई गई है। नई सरकार ताकत का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक आवाजों को कुचलने का रास्ता अपना रही है। इस प्रकार, राजनीतिक अनिश्चितता और ढांचागत मुद्दों के बादल इस द्वीप राष्ट्र पर लगातार छाए हुए हैं।

29. जटिल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति और हमारे देश की जनता पर भाजपा/एनडीए सरकार के जारी हमलों की इस पृष्ठभूमि में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं पार्टी कांग्रेस विजयवाड़ा में हो रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम

कोविड–19 महामारी और इसके प्रभाव

1. कोविड–19 महामारी ने दुनिया भर में कहर ढाया। अपेक्षाकृत गरीब देश और लोग इसके खासतौर पर शिकार हुए जिन्हें दवाईयां, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी चीजों का मिलना दुष्कर हो गया, जिससे विकास के लंबे–चौड़े दावे बेनकाब हो गए। दुनिया में लगभग 57 करोड़ कुल मामले हुए और महामारी के कारण लगभग 64 लाख लोग मर गए। मानवता ने जिन मानवीय संकटों का सामना किया है, कोविड–19 संकट इनमें अभूतपूर्व था और इसने इस बात को बेनकाब किया कि लोकतंत्र एवं समानता के उपदेश के बावजूद हमारी दुनिया किस कदर स्तरीकृत है। जिन देशों में निजी या निजीकृत स्वास्थ्य सेवा ढांचा है, वे देश संकट का सामना करने में पूरी तरह विफल रहे। संकट ने साबित किया है कि पूंजीवादी लालच स्वास्थ्य जैसे आवश्यक क्षेत्रों में राज्य की भूमिका की जगह नहीं ले सकता। पश्चिम की दुनिया के नेता अमरीका और अत्यंत बड़े पैमाने पर उसका निजीकृत स्वास्थ्य सेवा ढांचा स्थिति की गंभीरता के सामने टिक नहीं पाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अमरीका में कुल 8.33 करोड़ लोग कोरोना ग्रस्त हुए और 10 लाख से अधिक मौतें हुई। क्यूबा या वियतनाम जैसे समाजवादी देश और मजबूत सरकारी स्वास्थ्य तंत्र वाले देशों ने कोरोना का सामना कहीं अधिक बेहतर तरीके से किया और उन्होंने अन्य देशों की मदद भी की।

2. मोदी सरकार कोविड–19 संकट को समझने–बूझने में पूरी तरह विफल रही। जब शुरू में मामले सामने आये तो सरकार की निष्क्रियता ने मामलों की संख्या को बढ़ने की इजाजत दी। उसके बाद, हड़बड़ाहट भरा फैसला करते हुऐ, नरेन्द्र मोदी ने नतीजों पर गौर किए बगैर लॉकडाउन की घोषणा कर दी। एक नेता के कुविचारित एवं जल्दबाजी में उठाए गए कदम के कारण देश का जीवन थम गया। परिवहन के अभाव में दसियों लाख

प्रवासी मजदूरों को चिलचिलाती धूप में पैदल ही अपने दूरस्थ गांवों के लिए निकलना पड़ा। कोविड संकट के कुप्रबंधन के कारण लोग केवल बीमारी से ही नहीं भूख, गरीबी, कंगाली और बदहाली से भी मरे। पूर्ण तालाबंदी महंगी साबित हुई क्योंकि जो मजदूर अपने घरों को चले गए वे इस डर से वापस आने में झिझक गए कि सरकार फिर से तालाबंदी की घोषणा कर सकती है। बेरोजगारी की दर लगभग 25 प्रतिशत के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गयी और श्रम शक्ति भागीदारी दर (लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट–एलएफपीआर) गिर गयी जिससे अर्थव्यवस्था में विनाशकारी घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया और महामारी से पैदा हालात से अर्थव्यवस्था का उबरना अभी बाकी है।

3. कोरोना की दूसरी लहर ने देश पर प्रचंडता से चोट की और भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता को बेनकाब कर दिया जो दशकों से निजी क्षेत्र पर भरोसे और सार्वजनिक स्वास्थ्य इकोसिस्टम पर कम ध्यान देने के कारण कमजोर हो गया है। दूसरी लहर के दौरान विश्व स्तर पर कोरोना पीड़ितों की दैनिक संख्या के मामले में भारत सबसे ऊपर पहुंच गया। परंतु मामलों की संख्या अकेले इस समस्या की विकरालता का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त नहीं। हजारों लोग इस कारण मर गए कि सरकार ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक दवाओं की सप्लाई सुनिश्चित करने में विफल रही। अस्पतालों में बेड मिलना दुर्लभ हो गया। जिस प्रकार गंगा नदी में हजारों लाशें बहती देखी गयी (क्योंकि परिवार दाह–संस्कार का खर्चा भी नहीं उठा सकते थे), उससे भारतीय अर्थव्यवस्था की जबर्दस्त ढांचागत असमानताएं खुले रूप से सामने आयी। रिपोर्टों के अनुसार, कोरोना की दूसरी लहर के कारण एक करोड़ लोगों से उनका रोजगार छिना और पिछले साल महामारी के शुरू होने के बाद से 97 प्रतिशत परिवारों की आमदनी कम हो गयी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा बार–बार मांग पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और भारत की परेशानहाल आबादी को मदद के लिए नकदी हस्तान्तरण योजना (कैश ट्रांसफर स्कीम) लाने की पहल नहीं की है।

4. कोविड–19 का एक अन्य पहलू वैक्सीन के संकट के तौर पर सामने आया। नव उदारवादी आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत, वैक्सीन तक पहुंच पश्चिमी दुनिया में अति–केन्द्रित रही; यह अफ्रीका एवं एशिया की कीमत पर हुआ। भारत में भी, वैक्सीनों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कम्पलसरी लाइसेंसिंग (अनिवार्य लाइसेंसिंग) का इस्तेमाल करने के बजाय अत्यधिक मुनाफे (सुपर प्रोफिट) कमाने वाले तंत्र के साथ सरकार की मिलीभगत नजर आयी जैसे कि वैक्सीनों के प्रारंभिक अन्तरात्मक मूल्य निर्धारण (डिफरेंशियल प्राइसिंग) से झलकता है। नागरिकों की कीमत पर कारपोरेट हितों का ध्यान रखना (अर्थात उन्हें फायदा पहुंचाना) एनडीए सरकार की एक विशिष्टता रही है और वैक्सीन निर्माण में भी केन्द्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को जानबूझकर बाहर रखा और निजी कंपनियों की जबर्दस्त तरफदारी की, जबकि उसकी कीमत सरकारी खजाने से चुकाई गई। अन्य देशों को वैक्सीन की सप्लाई की भी जबर्दस्त आलोचना ही हुई। वैक्सीनों के निर्यात को अंशतः इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि वैक्सीनें अनुमोदित नहीं थी और अंशतः भारतीय निर्माताओं और विदेशी सरकारों के बीच सन्देहपूर्ण सौदों के कारण; जिसके फलस्वरूप ब्राजील में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन हुए। इस बीमारी के संबंध में अनेक मिथक और अंधविश्वास फैले जिससे वैज्ञानिक समझ के अभाव का पता चलता है।

5. हमारी पार्टी और अन्य मॉस फ्रन्टों का कामकाज भी महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ परंतु पाबन्दियों के हटाए जाने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। इस संकट में हमने भी अपने अनेक समर्पित एवं प्रतिबद्ध कामरेडों को खोया है। पार्टी केरल में एलडीएफ सरकार द्वारा कोविड–19 के कुशल प्रबंधन का नोट लेती है जिसने कोरोना पीड़ितों की बहुत बड़ी संख्या के बावजूद कर्नाटक एवं गोवा जैसे पड़ोसी राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई की। जहां संभव हुआ, पार्टी कामरेड भी राहत गतिविधियों में शामिल हुए और जरूरतमंद आबादी की मदद की। स्वास्थ्य सेवाकर्मियों, डॉक्टरों, पैरामेडिकों, साफ–सफाई करने वाले कर्मचारियों आदि ने इस दौरान जो कार्य किया वह उल्लेखनीय है। आशा वर्करों ने अपने काम के लिए विश्व भर में सराहना पायी।

6. कोविड–19 संकट ने साबित किया कि जो राजनीतिक ताकत टिकाऊ एवं प्रशासन का जनतापरस्त मॉडल दे सकती है वह केवल वामपंथ है। दक्षिणपंथ की नीतियां मुनाफे एवं लालच पर आधारित होती हैं जबकि वामपंथी मॉडल जनता की निस्वार्थ सेवा का मॉडल है। केरल में, महामारी का कारगर तरीके से सामना करने के लिए विकास मॉडल का पुनर्गठन किया गया था। इसकी सफलता की देशभर में सराहना की गई और इसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वाहवाही मिली। हमारी पार्टी द्वारा शासित राजस्व, कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों ने महामारी के खिलाफ केरल की लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान किया। विपदा प्रबंधन विभाग–जो राजस्व मंत्रालय के अंतर्गत है–ने महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए दिन–रात काम किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने सुनिश्चित किया कि लॉकडाउन के दौरान भी कोई भूखा न सोये, जबकि कृषि मंत्रालय ने फसलों की समय पर खरीद और राज्य भर में सामुदायिक रसोईयों को मदद के जरिये योगदान किया।

नव उदारवाद का हमला

7. नव उदारवादी अर्थशास्त्र और उसके परिणाम अब तीन दशकों से भी अधिक समय से हमारे सामने हैं। उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में शुरू की गई थी उसका नतीजा आमदनी और अवसरों में अभूतपूर्व असमानता के रूप में आया है। शीर्ष के चंद लोगों के पास धन–दौलत का जबर्दस्त संकेन्द्रण और जो सबसे नीचे के स्तर पर हैं जनता के उस विशाल बहुमत की कंगाली हमारे समय की परिभाषा करने वाली विशिष्टता के रूप में दिखाई पड़ रही है। नवीनतम ऑक्सफैम रिपोर्ट, जिसे सही ही ''इनइक्वलिटी किल्स'' (असमानता जान से मारती है) का शीर्षक दिया गया है, ने इस रूझान को प्रदर्शित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 100 बिलियनरों (खरबपतियों) के पास जितनी धन–दौलत है वह देश के सबसे गरीब 55 करोड़ लोगों की कुल धन–दौलत से अधिक है।

8. सार्वजनिक क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहे हैं जिसने औपनिवेशक चंगुल से स्वतत्रंता पाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने में देश की मदद की। समग्र विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए भारत के विशाल भूगोल और भौतिक संसाधनों की अलग–अलग स्थानों पर उपलब्धता को सकारात्मक राज्य–हस्तक्षेपों से ही संभाला जा सकता था। सार्वजनिक क्षेत्र ने हमारे देश को अनेक आर्थिक संकटों से बचाकर रखा। सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण नीतियों के जरिये ऐतिहासिक तौर पर वंचित समुदायों को अवसर एवं प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इजारेदार वित्त पूंजी के खिलाफ लड़ने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र लोकतांत्रिक ताकतों के हाथ में एक कारगर हथियार है। सार्वजनिक क्षेत्र को संरक्षित रखने, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए योजना आयोग की आवश्यकता है।

9. नव उदारवादी अर्थशास्त्र राज्य–हस्तक्षेपों से नफरत करता है और मुनाफे के लिए काम करने वाले निजी हाथों द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को पसंद करता है। सार्वजनिक क्षेत्र का सुनियोजित एवं सिलसिलेवार विघटन याराना पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज्म) की मजबूत खुराक के साथ नव उदारवाद पर विचारधारात्मक भरोसे का नतीजा है। परिणामस्वरूप, एयर इंडिया और जीवन बीमा निगम जैसी राष्ट्रीय संपत्तियों को औने–पौने दामों में बेचा जा रहा है या वस्तुतः उनका निजीकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार के एजेंडे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने से हमारी आर्थिक संप्रभुता और वित्तीय स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। निजी क्षेत्र पर बढ़ती निर्भरता गरीबी के सागर से घिरे हुए कुछ संपन्नता के द्वीप पैदा कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह कर सामाजिक न्याय एवं समावेशन (इन्क्ल्यूजन) के सिद्धांत को पराजित (अमान्य) किया जा रहा है।

10. पूंजीवाद लागत–खर्च में कमी कर मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने के आधार पर फलता–फूलता है। पूंजी का गैर जिम्मेदाराना और बेलगाम प्रवाह हमारी श्रमशक्ति को नीचा दिखा रहा है और सस्ते निवेशों की तलाश में पर्यावरण को अपूरणीय नुकसान पहुंचा रहा है। कठिनाई से प्राप्त किए गए श्रम अधिकारों को कारपोरेटों हितों की बलिवेदी पर न्यौछावर किया जा रहा है। नियोक्ताओं द्वारा पसंदीदा ''हायर एंड फायर'' (जब चाहो काम पर रखो, जब चाहो निकाल दो) की नीति ने श्रमशक्ति के बीच बहुत अधिक अनिश्चितताएं पैदा कर दी हैं। उनकी मांगों एवं अधिकारों के पक्ष में मजबूत कानूनों के बिना, मजदूर नियोक्ताओं के रहमोकरम पर हैं जो उनकी सामाजिक सुरक्षा को छीन रहे हैं और उनके भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं।

11. जिन बहुराष्ट्रीय कारपोरेट महाकाय कंपनियों की कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है वे हमारे राष्ट्रीय संसाधनों को लूट रही हैं। हमारे वनों, खान–खदानों, नदियों और खेतों को उनके सामने परोस दिया गया है, जैसे चाहे दोहन करें। मुनाफों की तलाश में पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आकस्मिक बाढ़, अनियमित एवं अप्रत्याशित बारिश, तापमान में वृद्धि, भूस्खलन आदि की घटनाएं आजीविकाओं को तबाह कर रही हैं और जीवन के कुछ तरीकों को पूरी तरह मिटा रही हैं। पूंजी भावी पीढ़ियों का जरा–सा भी ध्यान न रखते हुए पृथ्वी का विच्छेदन कर रही है और पूंजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार इससे आंख चुराना पसन्द करती है। जनता द्वारा पर्यावरण की रक्षा की कोशिशों को तिरस्कार एवं निंदा और सरकार की तरफ से प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) ऐसे मुद्दे हैं जिनसे तत्काल निपटने की जरूरत है। परंतु इस मामले में भी पश्चिमी दुनिया के हित किसी सकारात्मक प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। पश्चिम के देश भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने कार्बन डाईऑक्साइड का ऐतिहासिक तौर पर अधिक उत्सर्जन किया है, परंतु अब वे विकासशील देशों पर फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं। पर्यावरण को उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, पश्चिमी देशों को उसे प्रति–संतुलित करना चाहिए (यानी उस नुकसान को पूरा करना चाहिए) और भविष्य के लिए एक अधिक पर्यावरण–मैत्रीपूर्ण विश्व के निर्माण में सहयोग करना चाहिए।

12. पूंजीवाद ने अपने जाल को विस्तारित कर दिया है और वह हमारे जीवनों पर पूरी तरह नियंत्रण करना चाहता है। हाल में वापस लिए गए कृषि कानून इसका उदाहरण हैं। कृषि कानूनों का उद्देश्य ग्रामीण भारत को तश्तरी पर सजाकर कारपोरेटों के हवाले करने का था। मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवाओं के पूंजी–सघन क्षेत्रों के बाद अब पूंजीवाद की नजर कृषि एवं कृषि संबंधित कामकाज पर हावी होने की दिशा में है। ये क्षेत्र श्रम–सघन हैं और हमारी श्रमशक्ति का विशाल बहुमत प्राइमरी सेक्टर में लगा है। ग्रामीण भारत में पूंजी का बेलगाम प्रवेश और निकास ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास जो कुछ भी रोजी–रोटी है उसे तबाह कर अभूतपूर्व उथल–पुथल पैदा कर देगा।

13. हमारे समय के आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाक्रमों को उपरोक्त संदर्भ में देखा जाना चाहिए जहां पूंजी अपने लिए बेलगाम एवं मुक्त–प्रवाह चाहती है, परंतु श्रम को बंदी बनाकर रखती है। भारतीय राज्य, जो पूंजीपति वर्ग के वर्ग हितों का प्रतिनिधित्व करता है, वह जिस जनता की सेवा करने की उसने कसम खायी है, उसके हितों की बलि चढ़ाकर इस प्रक्रिया में एक सक्रिय मददगार का काम करता है।

महत्वपूर्ण आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाक्रम

आम चुनाव

1. 2019 के आम चुनावों में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लोकसभा में 303 सीटों के साथ सत्ता में वापस आयी। भाजपा का वोट शेयर भी 2014 के आम चुनाव के मुकाबले 6.50 प्रतिशत बढ़कर 37.36 प्रतिशत हो गया। भाजपा निराशाजनक आर्थिक कार्य–निष्पादन के साथ चुनाव में गयी और विकास कार्य के लिए उसके पास दिखाने को कुछ न था। नोटबंदी (डीमोनेटाइजेशन) और जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स–वस्तु एवं सेवाकर) जैसे फैसलों ने अर्थव्यवस्था को पहले ही तबाह कर दिया था। बेरोजगारी शिखर पर पहुंच रही थी और कृषि संकट व्यापक स्तर पर था। परंतु एक तीक्ष्ण राष्ट्रवादी शब्दाडम्बर, ध्रुवीकरण और बालाकोट हमले के प्रचंड राजनीतिकरण ने भाजपा के पक्ष में काम किया और उसे सत्ता में वापस आने में मदद की।

2. विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक सार्थक, विश्वसनीय और राजनीतिक तौर पर प्रतिबद्ध मोर्चा बनाने में विफल रही। गठबंधन अधिकांशतः राज्य स्तर पर बनाए गए। मुख्य विपक्षी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19.50 वोट शेयर प्राप्त कर 52 सीटों पर जीत हासिल की। केरल में राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए भेजने के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैसले ने वामपंथ को नुकसान पहुंचाया और एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एकता नहीं होने दी। हमारी पार्टी ने दो सीटें जीती। पार्टी ने ये दो सीटें डीएमके के साथ गठबंधन के अंतर्गत तमिलनाडु में जीती। हमारा राष्ट्रीय वोट शेयर घटकर 0.58 प्रतिशत पर आ गया।

3. फिर से मिले जनादेश ने भाजपा और उसके संरक्षक संगठन–राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन–को हिन्दू राष्ट्र के अपने एजेंडे को और अधिक जोरों के साथ जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 2019 के बाद के भाजपा के तीन साल के शासन के दौरान हमने देखा कि दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद की ताकतें हमारे लोकतंत्र की बुनियादों पर ही हमला कर रही हैं। आरएसएस–भाजपा अब और अधिक आक्रामक हैं और उन्होंने हमारे धर्मनिरपेक्ष संसदीय लोकतंत्र को प्रभावी रूप से सत्ता एवं अधिकार (पावर एवं ऑथरिटी) के अभूतपूर्व केंद्रीकरण के साथ एक निर्वाचित एकतंत्र (इलेक्टिड आटोक्रेसी) में बदल दिया है। बहुलवाद (प्लुरलिज्म) के खिलाफ आरएसएस–भाजपा की नफरत आज खुलकर सामने आ गई है और वे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से हमले करते हैं जिनका उद्देश्य समाज का ध्रुवीकरण करना और हिन्दू बहुमत को आरएसएस–भाजपा के पीछे लामबंद करना होता है।

4. संवाद और बहस के प्रति आरएसएस–भाजपा की उपेक्षा संवैधानिक संस्थानों समेत सभी संस्थानों को कमजोर करने की उनकी कोशिशों में दिखाई पड़ती है। हर किस्म के विरोध एवं आलोचना को राष्ट्रविरोधी, एक विदेशी ताकत से प्रेरित, ''शहरी नक्सलवादियों'' की साजिश का काम या देशद्रोही जैसे नाम देना उनके लिए आज एक आम बात हो गई है। सामाजिक मेलजोल और सह–अस्तित्व की भावना खतरे में है। देश की विविधता के प्रति आरएसएस–भाजपा का रवैया तिरस्कारपूर्ण है जो अनेक बातों से व्यक्त होता है जैसे कि हिन्दी को एक लिंगुआ फ्रेन्का के तौर पर थोपना (लिंगुआ फ्रेन्का का अर्थ है लोक भाषा, यानी ऐसी भाषा जिसे ऐसे विभिन्न लोगों के बीच एक आम भाषा के रूप में अपनाया जाता है जिनकी मातृभाषा अलग–अलग होती है), धर्म की एक समरूप (होमाजेनस) व्याख्या को बढ़ावा और लोगों को उनकी विविध खानपान–आदतों, कपड़ों या विश्वासों के आधार पर निशाने पर लेना।

धारा 370 को खत्म करना

5. दूसरी बार सत्ता में आने के तुरंत बाद भाजपा सरकार ने भारतीय संविधान की धारा 370 को मनमाने तरीके से खत्म कर दिया। धारा 370, धारा 35ए के साथ जुड़कर, कश्मीर के भारतीय संघ में मिलने का आधार थी। इस महत्वपूर्ण कड़ी को हटा देना और जम्मू एवं कश्मीर राज्य को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनमाने तरीके से दो–फाड़ कर देना अत्यंत अलोकतांत्रिक था और इसकी व्यापक भर्त्सना हुई। केंद्र सरकार कश्मीरी मत के साथ संवाद करने में विफल रही, उसके बजाय उसने कठोर नियंत्रण के जरिये शासन करने की कोशिश की। भाजपा द्वारा परस्पर विश्वास के भंग किए जाने ने घाटी को और अधिक अशांत बना दिया है। जम्मू एवं कश्मीर में डीलिमिटेशन (परिसीमन) की कसरत को जम्मू एवं कश्मीर एवं वहां की जनता के साथ भाजपा की भेदभावपूर्ण नीतियों को जारी रखे जाने के तौर पर भी देखा गया क्योंकि डीलिमिटेशन की इस कसरत ने इस क्षेत्र के जनसांख्यिकीय संतुलन, जैसा कि वह राज्य विधानसभा में प्रतिबिंबित होता है, को बदलने की कोशिश की। भाजपा का यह दावा झूठा साबित हो चुका है कि धारा 370 को निरस्त करने के बाद आतंकवादी गतिविधियां कम हो गई हैं। दूसरी तरफ, अन्य राज्यों के लोगों को वहां जमीन खरीदने की इजाजत देकर भाजपा जम्मू एवं कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रही है। कारपोरेट तबका जम्मू एवं कश्मीर में बड़े पैमाने पर जमीन हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है।

नागरिकता (संशोधन) कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर

6. संसद में जल्दबाजी में दिसंबर 2019 में भाजपा ने नागरिकता (संशोधन) कानून पारित कराया। धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान कर या नागरिकता प्रदान करने से इंकार कर नागरिकता (संशोधन) कानून हमारे गणतंत्र की धर्मनिरपेक्ष बुनियादों को पूरी तरह से बदल देता है। नागरिकता (संशोधन) कानून से अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई हैं, और दिसंबर 2014 के अंत या इससे पहले भारत आए, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन किया गया। नागरिकता (संशोधन) कानून में, क्षेत्र की सामाजिक वास्तविकताओं की उपेक्षा करते हुए, मुस्लिमों को बाहर रखा गया। नागरिकता (संशोधन) कानून और उसके साथ राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की कसरत धर्म के आधार पर अनेक लोगों की नागरिकता को छीन सकती है। नागरिकता (संशोधन) कानून के लाए जाने पर जबर्दस्त धरना प्रदर्शन हुए जिनका नेतृत्व देशभर में मुख्यतः महिलाओं ने किया जैसे कि शाहीन बाग में।

धर्मनिरेपक्षता पर हमला

7. धर्मनिरेपक्षता, जो हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित है, उसपर हर दिन हमला हो रहा है। धर्मनिरेपक्षता पर गंभीर खतरा पैदा किया जा रहा है। हर दिन आरएसएस–भाजपा सांप्रदायिकतापूर्ण एवं ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे उठा रहे हैं। लव जिहाद का मामला हो या हिजाब विवाद का, वे हमारे धर्मनिरेपक्ष लोकतंत्र को अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत भरे धर्मतांत्रिक इकोसिस्टम में बदलने के किसी अवसर को नहीं चूक रहे हैं। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को सभी स्तरों पर संस्थागत रूप दिया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के स्वामित्व के मकानों एवं संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का हाल का गैर कानूनी और असंवैधानिक रूझान इसका एक उदाहरण है।

8. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या में राममंदिर के निर्माण के आदेश के बाद, संविधान, वर्तमान कानूनों एवं नैतिकता का घोर उल्लंघन करते हुए आरएसएस–भाजपा ने विवादों को हवा देने के लिए ऐसे और अधिक स्थलों को चिन्हित कर लिया है। इस तरह के गढ़े हुए विभिन्न अन्य विवादों में बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा एक नवीनतम विवाद है। एक विवाद के बाद दूसरे विवाद से हमारे समाज में गहरी दरारें पड़ रही हैं; हमारे लिए आवश्यक है कि आरएसएस का काउंटर करने के लिए एक एकताबद्ध करने वाला सकारात्मक एजेंडा जनता के सामने पेश करें।

न्यायपालिका की स्थिति के संबंध में

9. हमारे समाज में निरंकुशतावादी विचारधारा की वृद्धि के साथ–साथ हमारे प्रहरी इन फूटपरस्त रूझानों को रोकने और हमारी बुनियादों की रक्षा करने में विफल हो रहे हैं। करोड़ों वादी हमारी न्यायपालिका की अकुशलता के कारण परेशानियां झेल रहे हैं, पहले ही अदालतों में लगभग पांच करोड़ मुकदमे लंबित पड़े हैं। सबसे अधिक हाशिये पर पड़े लोग जैसे कि गरीब दलित और आदिवासी लोग सबसे अधिक परेशानी झेल रहे हैं। मामूली से मामलों में भी अदालतों से मामले के हल होने में अत्यधिक समय लगता है। न्याय मिलने में यह देरी लोगों को इतर–न्यायिक तरीकों को चुनने के लिए एक प्रोत्साहन का काम कर रही है। बहस, विचार–विमर्श एवं असहमति के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने में न्यायपालिका की विफलताएं भी हमारे देश की लोकतांत्रिक बुनियादों को नुकसान पहुंचा रही हैं। अल्पसंख्यकों एवं अन्य हाशिये पर पड़े समुदायों के लोगों, एक्टिविस्टों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं–जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे है और सरकार की आलोचना करते हैं–को अदालतों से पर्याप्त संरक्षण नहीं मिल रहा है। महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में देरी हो रही है। वर्तमान परिस्थितियों में न्यायपालिका की यह उदासीनता अलोकतांत्रिक एंव प्रतिक्रियावादी ताकतों की वृद्धि के लिए ऐसे समय में अनुकूल साबित हो रही हैं जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों को निरंकुशतावादी आरएसएस–भाजपा द्वारा खतरा पैदा किया जा रहा है।

रहन–सहन के गिरते स्तर

10. मोदी शासन के वर्षो में सामाजिक विकास का माप करने वाले सूचकांकों के मामले में भारत की स्थिति में गिरावट एक सतत लक्षण है। निजी क्षेत्र के प्रति अपने खुले लगाव के कारण सरकार ने मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण स्कीमों के लिए बजट आवंटनों में कटौती समेत सामाजिक क्षेत्र से काफी हद तक हाथ पीछे खींच लिए हैं। हमारे देश की स्थिति अत्यंत दयनीय है; भूमंडलीय भूख सूचकांक में 116 देशों में भारत 111वें स्थान पर है; केवल 15 देश ही भारत से बदतर स्थिति में रहे। बंगलादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश बेहतर स्थिति में रहे; केवल कांगो जैसे उप–सहारा देश (सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से में या उससे संबंधित देश) या यमन जैसे युद्धत्रस्त देशों की स्थिति ही भारत से बदतर रही। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास सूचकांक में, 189 देशों में भारत का स्थान नीचे गिरकर 131वां हो गया। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां रहा जो सूची के निचली तरफ से 10वां स्थान है। दुर्भाग्य से, देश के अधिकांश लोगों के जीवन स्तर में यह सुस्पष्ट गिरावट कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बना है क्योंकि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी भारत गिरकर 150वें स्थान पर पहुंच गया है।

क्रूरतापूर्ण कानूनों से दबाई जा रही है विरोध की अवाज

11. आलोचना एवं बहस से सतत भयभीत भाजपा–आरएसएस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विरोध एवं असहमति की आवाजों को दबाने–कुचलने की कोशिश की है। पिछले दिनों सरकार और इसके इशारों पर काम करते हुए प्रवर्तन–अधिकारियों ने विभिन्न मंचों पर जनता की आवाज उठाने वाले अनेक एक्टिविस्टों एवं राजनीतिज्ञों के खिलाफ फर्जी आरोप थोप दिए हैं। भेदभावपूर्ण नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध करने पर अनेक एक्टिविस्टों पर क्रूरतापूर्ण यूएपीए (गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून) और अन्य दंडनीय ठहराने वाले प्रावधानों के अंतर्गत आरोप लगाए गए।

12. इसी प्रकार, भीमा–कोरेगांव विवाद में जिन लोगों को कैद किया गया, वे लचर आधारों पर आज भी जेलों में पड़े हैं। उनमें गौतम नवलखा और आनंद तेलतुम्बड़े जैसे प्रख्यात एक्टिविस्ट और विद्वान शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी 80 साल से अधिक के वयोवृद्ध तेलुगू कवि और एक्टिविस्ट वरवरा राव को चिकित्सीय आधार पर मिली जमानत को रद्द कराने की कोशिश कर रही है। एडवोकेट एवं एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को कानूनी आधारों पर जमानत मिल गई परंतु उनके आवागमन पर प्रतिबंध जारी है। फादर स्टेन स्वामी हिरासत में मर गए। अस्सी वर्ष से अधिक के इस वयोवृद्ध एक्टिविस्ट के साथ जो सुलूक किया गया वह अमानवीय होने से कतई कम नहीं था। अनेक लोगों ने उनकी मृत्यु को न्यायिक मृत्यु करार दिया है। स्रोतों के अनुसार, नब्बे प्रतिशत विकलांग प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व –डीजीपी श्रीकुमार को साजिश के सारहीन आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रकार मोहम्मद जुबैर और फिल्म निर्माता अविनाश दास को इसी तरह से मनगढंत आरोपों में गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों के लिए आवाज उठाने के कारण एक्टिविस्ट हिमांशु कुमार पर जुर्माना लगा दिया गया और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। यह सुस्पष्ट है कि भाजपा देश में डर का ऐसा वातावरण बनाना चाहती है जहां जरा–से भी विरोध का नतीजा जेल की सजा और प्रतिष्ठा खोने के रूप में निकलेगा।

13. शासकों और मुख्य धारा मीडिया के संरक्षण के साथ विपक्ष, एक्टिविस्टों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत देशद्रोह के आरोप थोपना एक फैशन बन गया है। 2020 में (जिसके लिए नवीनतम नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े उपलब्ध हैं) देशद्रोह के कुल 230 मामले दर्ज किए गए, केवल 23 में चार्जशीट लगी। 2020 में अदालतों में पड़े देशद्रोह के मामलों में 95 प्रतिशत मामले लंबित (विचाराधीन या अनिर्णीत) थे। 2020 में, गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के कुल 4,827 मामले लंबित थे; उस साल उनमें से केवल 398 मामलों में चार्जशीटें लगी।

अदालतों में लंबित दर 95 प्रतिशत रही जिससे भारत की जेलों में नारकीय परिस्थितियों में तकलीफ भुगत रहे बड़ी संख्या में लोगों के उत्पीड़न और जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का संकेत मिलता है।

निजीकरण

14. केंद्र सरकार अपने आक्रामक निजीकरण अभियान में तेजी से आगे बढ़ रही है। अपने कारपोरेट आकाओं को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार औने–पौने दामों में राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को उनके हवाले कर रही है जिनमें मुनाफे कमाने वाली परिसंपत्तियां भी शामिल हैं। इस प्रकार सरकार हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियादों को मूल रूप से कमजोर कर रही है। मोदी सरकार विनाशकारी और जनविरोधी आर्थिक नीतियों पर लगातार चलती रही है। बड़े पैमाने पर विनिवेश, निजीकरण और रणनीतिक बिक्री सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने के तरीके रहे हैं।

15. बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन), सीसीआई (कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया), बीईएमएल (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड), आईडीबीआई बैंक, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जीवन बीमा निगम का आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) के जरिये विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र की एक बीमा कंपनी–जनरल इंश्योरेंस कंपनी और दो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की रणनीतिक बिक्री इसके उदाहरण हैं। एयर इंडिया और पवन हंस को औने–पौने दामों में बेच दिया गया। देश की रक्षा तैयारियों को कॉम्प्रोमाईज करते हुए, 41 ऑर्डनेंस फैक्टरियों को, उनका निजीकरण करने के मकसद से, सात कारपोरेशनों में विभाजित कर दिया गया। रक्षा मैन्युफैक्चरिंग, अंतरिक्ष अन्वेषण और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक क्षेत्रों में निजी खिलाड़ियों की हिस्सेदारी मूलतः देश की संप्रभुता को जोखिम में डालेगी। सरकार कोयला, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन

16. वित्तमंत्री द्वारा जिस राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन (नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाईन–एनएमपी) की घोषणा की गई है, वह देश के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए एक गंभीर खतरा है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों की एक चार–वर्षीय पाईपलाईन है। निवेशकों को दृष्टिगोचरता प्रदान करने के अलावा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए एक मध्यावधि रोडमैप का काम भी करती है। इस कदम के जरिये सरकार का इरादा 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का है। यह आम जानकारी की बात है कि मुद्रीकरण राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की सीधी बिक्री एवं निजीकरण के लिए प्रयुक्त शब्दजाल है। एनएमपी से हजारों करोड़ों मूल्य की परिसंपत्तियों को स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (एसपीवी) के जरिये निजी हाथों के हवाले किए जाने का खतरा है। निजीकरण का स्पेशल पर्पज व्हीकल्स मॉडल याराना पूंजीवाद का जाल है। इन एसपीवी सहायक कंपनियों को एक विशिष्ट उद्देश्य को हाथ में लेने के लिए बनाया जाता है। इसका कार्यसाधक के रूप यह अर्थ है कि, यदि वे भाजपा के सही पक्ष में हैं, तो जिन कंपनियों का खराब बिजनेस रिकॉर्ड है वे भी राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को पा सकते हैं।

श्रम संहिताएं

17. सरकार ने चार श्रम संहिताओं अर्थात वेतन संहिता (कोड ऑन वेजिज, 2019), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता, 2020 को संसद में बिना किसी विचार–विमर्श के पारित किया। ये संहिताऐं मजदूरों को निश्चित तौर पर आघात पहुंचाने जा रही हैं और उन्हें नियोक्ताओं के मुकाबले अपेक्षाकृत काफी कमजोर स्थिति में डाल देंगी। यह प्रक्रिया काफी मेहनत के बाद हासिल किए हुए श्रम अधिकारों को छीन रही है; फलस्वरूप विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों, बैंकों, बीमा कंपनियों, खान–खदान एवं रेलों आदि के कर्मचारियों ने इसके खिलाफ हड़तालें कीं। एटक समेत सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने श्रम संहिताओं के खिलाफ विरोध कार्यक्रम किए हैं। बाल मजदूरी की स्थिति पर भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि भाजपा सरकार जिस वर्तमान कानून को लेकर आयी है उसमें अनेक खामियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नियमों एवं मानदंडों का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए केंद्र सरकार ने 2015 के बाद किसी भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन भी नहीं किया है। इसी प्रकार भारत का श्रम विरोधी चेहरा उस समय भी बेनकाब हुआ जब उसने हमारे संविधान का ध्यान न रखते हुए 41 आर्डनेन्स फैक्टरियों के असैन्य कर्मचारियों द्वारा किसी कार्रवाई को रोकने के लिए एक कानून–डिफेंस सर्विस एक्ट 2021–बना दिया।

कृषि कानून और उनका विरोध

18. मोदी सरकार किसान विरोधी साबित हो रही है क्योंकि वह ग्रामीण भारत में बड़ी पूंजी के घुसने को प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रही है। 2015 में, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए लगातार दो बार अध्यादेशों के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा था। भूमि अधिग्रहण के जरिये सरकार कारपोरेटों द्वारा जमीन पर कब्जा करने में उनकी मदद करना चाहती थी। इसी प्रकार, लगभग 15 महीने बाद, तीन कृषि कानून जल्दबाजी में लाए गए। एक साल लंबे ऐतिहासिक विरोध, जिसमें समाज के सभी तबकों ने हिस्सा लिया, के बाद प्रधानमंत्री को उन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। किसानों और समाज के अन्य तबकों ने विरोध के हमारे अधिकार को अभिपुष्ट किया। जब प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों और उनकी पार्टी के सदस्यों ने उन्हें आंदोलनजीवी, खालिस्तानी और राष्ट्रविरोधी का नाम देकर किसानों का उपहास किया तो भी विरोधकर्ता अडिग रहे। मोदी सरकार के अहंकार के कारण कानूनों को निरस्त करने में देरी से लखीमपुर खीरी की जघन्य घटना होने समेत 700 से अधिक किसानों की जानें गई।

जासूसी

19. जो लोग जेल में नहीं हैं उनके खिलाफ जासूसी की गई। पेगासस नाम का एक मिलटरी ग्रेड इजराइली स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर मंत्रियों, राजनीतिज्ञों, महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित नागरिकों, पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी, ताक–झांक और निगरानी के कथित उदाहरण सामने आए हैं। इस पर संसद द्वारा बहस की जाए और मुद्दे की जांच की जाए, सरकार ने इससे इनकार कर दिया। इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया टालमटोल की रही जिससे मामले में उसकी संलिप्तता का संकेत मिलता है। आरोप था कि एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर भारत के 150 से अधिक डिवाइसों समेत विश्व भर में 50 हजार से अधिक डिवाइसों के साथ छेड़खानी की गई। नागरिकों की जासूसी को लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। परंतु लोकतंत्र के मूलतत्व के प्रति सरकार को कम ही चिंता है और वह विरोध एवं असहमति पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल कर रही है।

गैर–पारदर्शी चुनावी बाँड और पीएम–केयर्स फंड

20. मोदी सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार, लॉबीइंग और रिश्वत को चुनावी बाँडों के जरिये संस्थागत रूप दे दिया गया है। चुनावी बाँडों के सिस्टम ने राजनीतिक पार्टियों के लिए फंडिंग को जनता और विपक्षी पार्टियों के लिए पूरी तरह अपारदर्शी बना दिया है। भाजपा की दलील थी कि चुनावी बाँड राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने को आम जनता के लिए अपेक्षाकृत आसान बना देंगे, परंतु जो कुछ हुआ वह इसका उलट है। पिछले चार वर्षों में लगभग दस हजार करोड़ रुपए के ये बाँड बिके जिसमें 90 प्रतिशत चुनावी बाँड सबसे अधिक मूल्य वर्ग यानी एक करोड़ रुपए वाले बाँड थे। इस तरह का चंदा देना आम जनता के लिए असंभव है। इस धनराशि का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा केंद्र की शासक पार्टी भाजपा के पास पहुंचा। इसी प्रकार पीएम–केयर्स फंड, जिसे प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष को स्थानापन्न कर कोविड–19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद करने के लिए बनाया गया था, पूरी तह गैर–पारदर्शी, मनमाना एवं बेहिसाबी (यानी उसका कोई हिसाब नहीं मांगा जा सकता) साबित हो गया है। पारदर्शिता और सूचना के अधिकार का घनघोर उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसमें आने वाले पैसे और खर्चों के विवरण को सार्वजनिक करने के तमाम अनुरोधों को मानने से इंकार कर दिया है।

चुनावी सुधार

21. वर्तमान फ्रेमवर्क के अंतर्गत, धनबल, बाहुबल और राजतंत्र के व्यापक एवं आक्रामक दुरूपयोग ने मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव को और अधिक मुश्किल बना दिया है। लेवल प्लेयिंग फील्ड (ऐसी स्थिति जिसमें चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों को जीतने का बराबर अवसर मिले और मुकाबला ऐसा न हो जिसमें कोई उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले फायदे की स्थिति में रहे) सुनिश्चित करने के लिए हमारे चुनावी सिस्टम में सुव्यवस्थित, व्यापक और आमूलचूल सुधारों की जरूरत है। राजनीतिक एवं नैतिक संकट के हमारे इस समय में चुनावों की स्टेट फंडिंग के संबंध में इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी की सिफारिशें और अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। ''फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट'' (सर्वाधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी) सिस्टम धन और बाहुबल वाली बड़ी पार्टियों के पक्ष में पड़ता है और लोग इस डर से अपने मतदान का मुक्त होकर इस्तेमाल नहीं करते कि छोटी पार्टियों को दिए गए उनके वोट रद्दी खाते में जाएंगे।

22. यह समय है कि हमारी चुनाव प्रणाली को वास्तव में प्रतिनिधिक (रिप्रेजेन्टेटिव) बनाने के लिए इसमें बदलाव लाए जाएं। अनेक राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम (इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन) की विश्वसनीयता के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की हैं। प्रणाली को प्रतिनिधिक बनाने के लिए पर्याप्त बचाव उपायों के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दिशा में बढ़ना चाहिए। चुनावी सुधारों के साथ–साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के वरण से सभी राजनीतिक पार्टियों एवं व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान कर लेवल प्लेयिंग फील्ड फिर से बहाल करना होगा।

राष्ट्रपति चुनाव

23. संसद सदस्यों और विधायकों के निर्वाचक मंडल ने भाजपा की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर चुना। निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आशा व्यक्त की है कि संविधान के कस्टोडियन के तौर पर वह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की मर्यादा बनाए रखेंगी और उनकी रक्षा करेंगी। अनेक विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई और उन्होंने एक साझा उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम पेश किया था और उन्हें लगभग 36 प्रतिशत वोट मिले जो पिछले पांच दशकों में किसी विपक्षी उम्मीदवार को मिलने वाले सर्वाधिक वोट हैं। परंतु विपक्ष की एक ठोस एकता से पहले कई मुद्दों का रास्ते में आना जारी है जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव में देखा गया जिसमें अनेक गैर–एनडीए पार्टियों ने विभिन्न कारणों से भाजपा उम्मीदवार के लिए वोट दिए। कुछ राज्यों में क्रॉस वोटिंग से विपक्ष को नुकसान पहुंचा। यदि एक ठोस विपक्ष को भाजपा के खिलाफ लड़ना है तो 2024 में जब देश चुनाव में जाएगा उससे पहले इन मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।

विदेश नीति

1. राष्ट्र–राज्यों की विदेश नीतियां आमतौर पर उनकी आंतरिक नीतियों और विशेष तौर पर आर्थिक नीतियों का विस्तार होती हैं। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद, मोदी सरकार की विदेश नीति प्रमुख भूमंडलीय ताकतों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में जारी रही हैं। तथापि, अमरीका और इजरायल के प्रति एक स्पष्ट झुकाव नजर आता है, फलस्वरूप कुछ मुद्दों पर टकराव होता है।

अमरीका एवं इजरायल के साथ बढ़ती नजदीकी

2. नवीकृत जनादेश के बाद, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका अमरीका एवं इजराइली हितों के साथ जुड़ी हुई रही हैं। एशिया–पैसिफिक (एशिया–प्रशांत) क्षेत्र में ''एक खुले, समावेशी एवं नियम–आधारित इंडो–पैसिफिक'' के बहाने क्वैड (क्वाड्रिलेट्रल सिक्योरिटी डायलॉग (चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद), जिसमें चार देश शामिल है–संयुक्त राज्य अमरीका, भारत, जापान एवं आस्ट्रेलिया) और बाद में एयूकेयूएस (यूकेयूएस–ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता) के गठन और एलईएमओए (लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैडिंग), सीओएमसीएएसए (कम्युनिकेशन्स कॉम्पेटिबिलिटी

एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट), बीईसीए (बेसिक एक्सचेंज कॉआपेरेशन एग्रीमेंट) जैसी विभिन्न रक्षा संधियों पर भारत के हस्ताक्षर ने ''पिवट टु एशिया'' के अमरीका के सैन्य रणनीतिक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भारत को अमरीकी नेतृत्व वाले फ्रेमवर्क में बैठा दिया है।

क्वैड और आईपीईएफपी

3. इस साल मई में टोक्यो में आयोजित क्वैड की पिछली मीटिंग में ''इंडो पैसिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी'' (आईपीईएफपी) का गठन किया गया। इंडो पैसिफिक (जिसमें 23 देश+ताइवान शामिल हैं) के विशाल क्षेत्र में 13 देशों ने इस फ्रेमवक का हिस्सा बनने में अपनी दिलचस्पी दिखाई, यद्यपि एक क्षेत्र के तौर पर एशिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और पूर्वी एशिया, ओसेनिया, रूसी फार ईस्ट, दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया इसके दायरे में आते हैं।

4. आईपीईएफपी की पहल एशिया–पैसिफिक क्षेत्र में चीन की उभरती आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव पर अंकुश लगाने का कदम है और इसका लक्ष्य चीन के ''रोड एंड बैल्ट इनिशिएटिव'' के खिलाफ है। आईपीईएफपी पहल के पीछे अमरीका दृढ़तापूर्वक घोषणा करता है कि उनकी तमाम पहलकदमियां इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य निवारण (मिलटरी डेटेरेन्स) को मजबूत करने के उनके सामरिक उद्देश्य के साथ जुड़ी हैं। स्वाभाविक है अनेक देश समझते हैं कि अमरीकी सरकार का असली इरादा इस क्षेत्र में किसी किस्म के ''एशियाई नाटो'' बनाने का है। इस तरह के फ्रेमवर्क में भारत की हिस्सेदारी दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया, जहां के अनेक देश इस फ्रेमवर्क में शामिल नहीं हुए, में भारत के स्टेटस को और आगे कमजोर कर सकती है।

5. वर्तमान विश्व अब एकध्रुवीय विश्व नहीं रह गया है यद्यपि प्रतिबंधों, डराने–धमकाने, नाकेबंदियों और फौजी तरीकों के जरिये बाइडेन सरकार विश्व की महा शक्ति के अपने पुराने स्टेटस को वापस बहाल करने के लिए बड़ी कोशिश कर रही है। रूस–यूक्रेन युद्ध में अमरीका की भूमिका इसका एक उपयुक्त उदाहरण है।

6. भारत खुले आम घोषणा करता है कि वह किसी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होगा और भारत ने रूस–यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर एक तर्कसंगत स्टैंड लिया। परंतु साथ ही, भारत ने अपनी परम्परागत मित्रता और फिलिस्तीन ध्येय के लिए अपनी अविचल एकजुटता की बलि चढ़ाते हुए अमरीका और इजायल से रक्षा खरीद बढ़ा दी है। पहली बार यह हुआ कि फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन को संयुक्त राष्ट्र सिस्टम में ऑब्जर्वर के स्टेटस को रोकने के लिए के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) में भारत ने इजराइल के पक्ष में वोट दिया।

7. वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में भारत को और अधिक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करना है। ब्रिक्स (पांच देशों–ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन एवं साउथ अफ्रीका का समूह) और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत की हिस्सेदारी देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संबंध में योगदान कर सकती है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और वर्तमान असमान विश्व व्यवस्था को बदलने के लिए संघर्षों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

8. हमारी विदेश नीति की दृढ़ एवं सतत् पोजीशनों में एक है राजधानी के रूप में पूर्वी येरूशलम के साथ अपनी स्वयं की मातृभूमि के लिए फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष को समर्थन करना। इजराइल के सामने झुके बगैर यह पोजीशन जारी रहनी चाहिए।

9. अनेक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों एवं संस्थाओं ने भारत में मानवाधिकारों और विश्वास, आस्था एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बढ़ते उल्लंघनों के संबंध में चिंता व्यक्त की है। सरकार को इन मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और सरोकारों का समाधान किया जाना चाहिए।

हमारा पड़ोस

10. भारत की सबसे बड़ी विफलता है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ निकट संबंध नहीं बना पाया। वर्तमान सरकार की विदेश नीति का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि जब पड़ोसी देशों के संबंधों की, विशेष तौर पर पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ संबंधों की बात आती है तो हम पाते हैं कि आंतरिक साम्प्रदायिक वातावरण ने हमारी विदेश नीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यह नकारात्मक दृष्टिकोण हमें अफगानिस्तान, जिसका अभी स्थिर होना बाकी है, के साथ भी बेहतर संबंध बनाने में मदद नहीं करेगा। इसके अलावा, सार्क के प्रति राजनीतिक उदासनीता और सभी पड़ोसी देशों के साथ रुखे संबंध भाजपा सरकार की विदेश नीति की विफलता का हिस्सा हैं।

11. इस संदर्भ में, भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंध दक्षिण एशिया क्षेत्र में बड़ी चिंता का कारण बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दो शिखर बैठकों के बाद, विपक्षीय सम्बंधों में कुछ सकारात्मकता सामने आयी। दोनों देशों के बीच संवाद, परस्पर सहयोग और बेहतर समझ के बढ़ने की उम्मीद थी। परंतु जून 2020 में दो सेनाओं के टकराव, जिसके फलस्वरूप गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गयी, उससे स्थिति बदल गयी है। इस घटना ने भारतीय जनता के मन में कई आशंकाऐं पैदा की हैं।

12. भारत और चीन के बीच सीमा के मुद्दे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की कि अप्रैल 2020 के पहले जो पोजीशन थी, दोनों सेनाओं की उसी पोजीशन पर यथास्थिति बनायी रखी जानी चाहिए। हमारा विश्वास है कि दोनों सरकारों के बीच समझौतों, विशेषतौर पर 2015 में सीमा मुद्दे पर ''राजनीतिक मापदंड और मार्गदर्शक सिद्धांत'' पर सख्ती से पालन करना चाहिए। सीमा समस्या के उचित, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान के लिए दोनों पक्षों को यथासंभव शीघ्र अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए।

आगे की राह

13. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता आंदोलन के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, जिसे विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए, साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद, जियनवाद (यहूदीवाद), नस्लवाद एवं अन्य भेदभावों के खिलाफ लड़ने वाले जनगण के साथ एकजुट होकर काम करने के लिए और शांति एवं न्यायसंगत (इक्विटिबल) भूमंडलीय व्यवस्था के लिए एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए अब दक्षिण–दक्षिण सहयोग के तौर पर जाना जाता है।

अर्थव्यवस्था पर एक नजर

1. यह महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर नव उदारवादी नीतियों को आक्रामक तरीके से थोपे जाने के प्रभाव को संज्ञान में लिया जाए। मोदी काल में कुल मिलाकर रूझान यह रहा है कि आर्थिक वृद्धि और उत्पादकता में गिरावट आयी है, जब नोटबंदी, जीएसटी और भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था के संवेग को पूरी तरह ठप किया, उससे पहले ही अर्थव्यवस्था की चाल मंद पड़ गयी थी। एक के बाद दूसरा क्षेत्र धीमी वृद्धि, बेरोजगारी और देश में रोजगार–क्षति से ग्रस्त था। यहां हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों और पिछले वर्षों में उनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।

कृषि

2. कृषि क्षेत्र हमारे देश की लगभग आधी श्रम शक्ति को काम देता है। अतः यह हमारे कामगारों के बहुमत को आजीविका और हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लगभग आधे कामगार इसमें काम करते हैं तो भी कई कारणों से, हमारी जीडीपी (सकल घरेलु उत्पाद) में कृषि का योगदान केवल जीडीपी का 17 .5 प्रतिशत ही रहता है। इससे हमारे किसानों, खेतिहरों और कृषि मजदूरों के लिए कम हिस्सेदारी जाहिर होती है। इससे चंद संपन्न किसानों को छोड़ बाकी सभी लोग हमारे समाज के सबसे कमजोर और वंचित तबके बन जाते हैं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का रोटी कमाने वाला क्षेत्र है जिससे कृषि का अत्यधिक महत्व रेखांकित होता है। स्वाभाविक है कि कृषि में संकट का अर्थ है देश में संकट।

3. अनेक कारकों के कारण कृषि खतरे में है। लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र के तौर पर होता है (यह 2012–13 की स्थिति है)। वर्षों से, यह क्षेत्रफल अधिकाधिक टुकड़े–टुकड़े होता जा रहा है जिससे उत्पादकता पर असर पड़ता है और लागत बढ़ती है। सीमान्त जोतें (एक हेक्टेयर से कम की जोतें), जो 1997 में 36 मिलियन थी, 2011 में बढ़कर 93 मिलियन हो गयी। कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल में कमी आने के साथ–साथ जमीन जोतों का इतना अधिक विखंडन (टुकड़े–टुकड़े होना) हुआ। खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के संबंध में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सीमान्त और छोटी जोतें यांत्रिकीकरण और सिंचाई तकनीकों के अभाव जैसी अनेक समस्याओं का सामना करती हैं। छोटी जोतें परिवारों का जीवन निर्वाह करने लायक नहीं रह जाती। इसके फलस्वरूप जो कुछ भी रोजगार मिल जाए उसकी तलाश में शहरों और कस्बों को बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता है। गहराते आर्थिक संकट से निपटने के लिए सर्वसमावेशी भूमि सुधारों के लाने को राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

4. भाजपा शासन के अंतर्गत कृषि पर नव–उदारवादी हमला तेज हुआ है। उवर्रकों संबंधी गलत नीतियों, निर्यातों और बढ़ी हुई बेरोजगारी के कारण ग्रामीण क्षेत्र पर तनाव बढ़ रहा हैं। कृषि में कारपोरेट प्रवेश की मदद करने के लिए सरकार कृषि कानून लेकर आयी जिसका मकसद खरीद और मूल्य समर्थन के समूचे इकोसिस्टम को तबाह करना था। कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएससी) को सुनिश्चित नहीं किया गया है और पर्याप्त फसल बीमा की मांग का उचित तौर पर समाधान नहीं किया गया। चालू वित्त वर्ष में गेहूं की सरकारी खरीद 53 प्रतिशत कम हो गई है; केवल 182 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। नीति बनाने में कन्फ्यूजन और कृषि के प्रति उत्तरदायित्व के अभाव के कारण इस क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

खनन

5. खनन क्षेत्र देश की लगभग 2.5 प्रतिशत जीडीपी का योगदान करता है और लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। इसके अलावा, प्राकृतिक संसाधनों का लघु–स्तर खनन अनेक परिवारों के लिए आजीविका का स्रोत है। तथापि, इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दे पिछले साल सामने आए हैं। गैर– कारगर नीति निर्माण के कारण समूचे देश ने कोयले की कमी और उसके फलस्वरूप पावर कट बार –बार होते देखा है जिससे नागरिक जीवन और उत्पादन दोनों को नुकसान पहुंचता है। व्यापक एवं आक्रामक निजीकरण के कारण और निगरानी के अभाव से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। देश के अनेक हिस्सों में बड़े पैमाने पर रेत–खनन से नदी निकाय और प्राकृतिक संसाधन तबाह हो रहे हैं।

मैन्युफैक्चरिंग

6. देश का मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्वयं की समस्याओं का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र के बारे में सरकार की समझ वास्तविकता को नहीं दर्शाती क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा लघु स्तर का है। इन लघु स्तर इकाइयों को नोटबंदी और जीएसटी से सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा जिससे उनकी उत्पादकता और संचालन पर दुष्प्रभाव पड़ा। कोविड–19 के दौरान आर्थिक गतिविधियों के बंद होने से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है, परंतु कोविड से पहले ही इस क्षेत्र में स्लोडाउन चल रहा था। बढ़ते खर्चों, मांग में कमी और नीतियों में कन्फ्यूजन के कारण अनेक बड़े स्तर के मैन्युफैक्चररों ने अपने कार्यकलाप को बंगलादेश जैसे नजदीक के बाजारों में शिफ्ट कर लिया है। सूक्ष्म–लघु–मझोले उद्यमों के क्षेत्र पर फोकस करने की जरूरत है क्योंकि यह देश में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है।

निर्माण

7. कन्स्ट्रक्शन (निर्माण) का हमारी जीडीपी में लगभग 10 प्रतिशत का हिस्सा है। कन्स्ट्रक्शन एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्रामीण भारत से शहरी भारत को माइग्रेट होने वाली प्रवासी श्रमशक्ति के अधिकांश हिस्से को खपाता है। कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र में काम अत्यंत जोखिम भरे, असुरक्षित और कम मजदूरी देने वाले होते हैं। दुर्भाग्य से, पिछले वर्षों में इस निम्न–गुणवत्ता रोजगार की उपलब्धता भी कम हो गई है। तालाबंदी के दौरान जो मजदूर अपने गांवों को वापस गए, वे उन्हीं अनिश्चिताओं का दुबारा सामना करने के अनिच्छुक रहे हैं। देश में बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर जोड़ने के

सरकार के दावों के बावजूद न्यूनतम निर्धारित मजदूरी हासिल करना मुश्किल रहा है। महिला मजदूरों के लिए समस्या और भी गंभीर है क्योंकि इस अत्याधिक अनियंत्रित क्षेत्र में उन्हें वेतन अंतर, भेदभाव और अधिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

सेवा क्षेत्र

8. सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है। कोविड–19 महामारी का असर सेवा क्षेत्र पर सबसे बुरा पड़ा। फलस्वरूप, जीडीपी में इसका हिस्सा, जो 2019–20 में 55 प्रतिशत था, 2021–22 में गिरकर 53 प्रतिशत रह गया। चार घंटे के नोटिस पर राष्ट्रव्यापी तालाबंदी थोपे जाने से ट्रांसपोर्ट, होटल, खुदरा व्यापार, मनोरंजन आदि कुछ क्षेत्र पूरी तरह बंद हो गए। तथापि, वित्त, जमीन–जायदाद एवं व्यवसायिक सेवाएं जैसे अन्य गैर–शारीरिक संपर्क आधारित क्षेत्रों में भी गिरावट दर्ज हुई। भारत का सेवा क्षेत्र विविधतापूर्ण है। परंतु इसका अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र में संकेंद्रित है जिससे यह वंचित पृष्ठभूमि से आए अनेक लोगों के लिए उन्हें इससे बाहर कर देने वाला (एक्स्क्लुजनरी) हो जाता है।

श्रमशक्ति की स्थिति और बेरोजगारी का संकट

9. समय के साथ देश में रोजगार का संकट गहरा रहा है और अक्सर सरकार इसके प्रति बेखबर एवं बेपरवाह रही है। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष सृजन करने का वायदा किया था। परंतु महामारी के वर्षों में करोड़ों लोगों से उनका रोजगार छिन गया। सार्वजनिक क्षेत्र पीछे हट रहा है और निजी क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। इससे भारत में सुरक्षित एवं समावेशी रोजगार स्ट्रक्चर के लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। पहले ही हमारा रोजगार स्ट्रक्चर पुरूष कामगारों के पक्ष में पूर्वाग्रह ग्रस्त है और महिला हिस्सेदारी पर्याप्त नहीं है। रेलवे जैसे बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले संस्थान पीछे हट रहे है, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है; इस प्रकार रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। महामारी से पहले भी बेरोजगारी पिछले पांच दशकों के सर्वोच्च स्तर पर थी जिससे रोजगार सृजन में मोदी सरकार की सरासर एवं पूरी तरह विफलता का स्पष्टतः पता चलता है।

10. लगभग 50 करोड़ की संख्या में श्रमशक्ति में से अधिकांश, लगभग 90 प्रतिशत श्रमशक्ति अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है। रेलवे और रक्षा जैसे जो सरकारी संस्थान बड़े पैमाने पर भर्ती करते हैं उनका रोजगार हिस्सा (एम्प्लायमेंट शेयर) कम हो रहा है और केंद्र सरकार के अंतर्गत कुल रोजगार घट कर लगभग 30 लाख रह गया है, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा सशस्त्र बलों का है। औपचारिक क्षेत्र के संबंध में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, औपचारिक क्षेत्र में कुल 3.10 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। यह हमारी कुल श्रमशक्ति के 6 प्रतिशत से मामूली अधिक है। बाकी श्रमशक्ति विशाल अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है। औपचारिक क्षेत्र में भी, ठेका और कैजुअल मजदूरों की संख्या बढ़ रही है जिन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। इस रूझान से कामगारों के लिए बड़ी अनिश्चिताएं पैदा हो रही हैं। महिला हिस्सेदारी कम बनी हुई है और अपनी क्षमता तक नहीं पहुंची है।

11. भारत की विशाल बहुसंख्या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है जहां कानूनी संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा नहीं है। आंकड़ों के अनुसार, अनौपचारिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत से थोड़े से अधिक लोगों को वैतनिक छुट्टी मिली जिससे रोजगार की बड़े पैमाने पर अनियंत्रित एवं असुरक्षित प्रकृति का पता चलता है। इनमें से अधिकांश कृषि मजदूर हैं जो मुख्यतः भूमिहीन हैं। श्रमशक्ति का एक बड़ा हिस्सा कैजुअल कामगारों के तौर पर काम करता है और वे नाममात्र की स्थिरता से भी वंचित रहते हैं। जो कामगार अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें और विशेषकर महिलाओं को, निम्न एवं अदलती–बदलती आमदनी, अक्सर जोखिम भरी कार्यस्थितियों, कानूनी संरक्षण का अभाव और अक्सर निम्न सामाजिक हैसियत का सामना करना पड़ता है। उनकी बदहाली को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले कुछ सालों से, यहां तक कि महामारी के दिनों में भी, न्यूनतम मजदूरी को संशोधित नहीं किया है; न्यूनतम मजदूरी 178–80 रुपए के अत्यंत निम्न स्तर पर चल रही है। जबर्दस्त महंगाई उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रही है और ये मजदूर दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए मारे–मारे फिरते हैं।

12. देश के युवाओं के सामने एक निराशाजनक भविष्य दिखाई पड़ रहा है। मोदी सरकार की उदासीनता और गलत नीतियों के कारण ''जनसांख्यिकीय लाभांश'' (डेमोग्रेफिक डिविडेंड), जिसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, हमारी आंखों के सामने एक ''जनसांख्यिकीय विनाश'' (डेमोग्रेफिक डिजास्टर) में बदल रहा है। 2022–23 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल कैरीयर सर्विस पोर्टल में दर्ज कुल 1.42 करोड़ लोगों में से 1.29 करोड़ 18–44 वर्ष आयु के युवा थे। उसी साल पोर्टल पर सक्रिय रिक्त स्थानों की संख्या अत्यंत शोचनीय, मात्र 71,447 थी जिससे मांग और सप्लाई में भारी अंतर और हमारी अर्थव्यवस्था में चिर–स्थायी बेरोजगारी का पता चलता है। मोदी सरकार के पूरे समय में बेरोजगारी के अनुमान अत्यंत ऊंचे रहे हैं। यहां तक कि श्रम शक्ति भागीदारी दरें (लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स) भी दोनों पुरूषों एवं महिलाओं कामगारों के लिए नीचे आ गई हैं। भाजपा को जनता ने जो जनादेश दिया था, यह स्थिति उसके प्रति विश्वासघात है और देश के युवाओं के साथ बेईमानी है।

अग्निपथ योजना

13. देश के बेरोजगार और निराश युवकों और युवतियों में बेचैनी और तनाव है। रोजगार के मुद्दों पर हमने बड़े पैमाने पर, जैसे कि सबसे पहले हाल में रेलवे भर्ती के सम्बन्ध में बिहार और यूपी में, विरोध कार्रवाईयां होते देखी हैं। हाल में सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए संविदात्मक अग्निपथ योजना की घोषणा की। यह देश के युवाओं को किए गए वायदों के साथ विश्वासघात के अलावा अन्य कुछ नहीं। अग्निपथ के खिलाफ बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किए। तो भी, विचारधारात्मक मार्गदर्शन के अभाव और सोशल मीडिया जैसे कम्युनिकेशन के नये माध्यमों के असर में आकर बड़ी संख्या में युवाओं का लम्पटीकरण देखा जा सकता है। जब उनके सामने अवसरों के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तो उनके आक्रोश एवं निराशा को हिंदुत्व विचाराधारा के जरिये एक दूसरी दिशा दे दी जाती है। यह विचारधारा, जो नफरत और अन्यीकरण पर बनती है हमारे देश के भविष्य में ऐसे मूल्यों का जहर भर रही है जो भेदभावपूर्ण और झगड़ालू हैं और समाज में कलह पैदा करते हैं। आशंकाएं हैं कि अग्निपथ योजना जनसाधारण के सैन्यीकरण के कुटिल मंसूबे का एक हिस्सा है। इसे आरएसएस द्वारा हाईजैक किया जा सकता है, और रिटायरमेंट के बाद, इन प्रशिक्षणप्राप्त सैनिकों को आरएसएस द्वारा एक हथियारबंद मिलिशिया की तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

वैकल्पिक आर्थिक कार्यक्रम

1. अर्थव्यवस्था की उपरोक्त स्थिति और हमारे समाज पर उसके दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुऐ हमें एक वैकल्पिक आर्थिक कार्यक्रम तैयार करने और उसे जनता के सामने पेश करने की जरूरत है। यह कार्यक्रम समग्रतापूर्ण, जनकेंद्रित और सामाजिक क्षेत्र समर्थक होना चाहिए। हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के सशक्त कल्याणकारी सिद्धांतों को संरक्षित रखने और साथ ही ''कोई विकल्प नहीं है'' के प्रश्न का सही तरीके से उत्तर देने के लिए वैकल्पिक मॉडल आवश्यक है। अतः यहां हमारे वैकल्पिक आर्थिक कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार–विमर्श किया गया है।

2. शुरू में ही जोर देकर कहना चाहिए कि हमारा देश प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के संसाधनों में समृद्ध है। सरकार की गलत प्राथमिकताओं, नव–उदारवाद पर भरोसे, भाई–भतीजावाद और भ्रष्टाचार से चंद लोगों की तिजोरियां भर रही हैं जबकि आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। हमारी समझ है कि यदि दबे–कुचलों के सरोकारों को न्यायसंगत तरीके से ध्यान में रखते हुए देश के संसाधन–आधार का वितरण किया जाए तो वह हमारी आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस वैकल्पिक आर्थिक रूपरेखा का उद्देश्य भविष्य के लिए एक व्यापक, जनता परस्त नीति फ्रेमवर्क के मकसद को पूरा करना है।

वृहत्त–आर्थिक प्राथमिकताओं का पुनर्संरेखण (रीएलाइनमेंट)

3. यह ध्यान रखते हुए कि हमारी अर्थव्यवस्था के पास हमारे देश के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, हमें देश की स्पष्ट एवं व्यापक दिशा का पुनर्संरेखण करना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य सरोकार बाहरी बाजारों को प्राथमिकता देने के बजाय घरेलू बाजार के लिए उत्पादन और उपयोग होना चाहिए।

4. हमारी अर्थव्यवस्था को अधिकार–आधारित दृष्टिकोण के साथ सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, रक्षा और रोजगार के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। और अधिक निवेश को आकर्षित करने के बजाय और अधिक रोजगार सृजन हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

5. हमारी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 10 प्रतिशत शिक्षा के लिए, 6 प्रतिशत स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवंटन होना चाहिए, विशेषतौर पर खाद्य सुरक्षा और रोजगार के लिए पर्याप्त आवंटन होना चाहिए; अनुसंधान एवं विकास के लिए जीडीपी का 2 प्रतिशत आवंटन रखना चाहिए।

6. इन संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण के लिए और इन्हें भूमंडलीय आर्थिक वास्तविकताओं के प्रति और अधिक विचारशील बनाने के लिए हमें विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विकासशील देशों के साथ खड़ा होना चाहिए।

7. भारत को विकासशील देशों के एक ऐसे बैंक की स्थापना के लिए अगुआई करनी चाहिए जिसका मुख्य सिद्धांत भेदभाव–विहीनता हो।

8. एशियाई देशों के बीच भुगतानों और विनिमय के सुविधाकरण के लिए और लेन–देन के माध्यम के तौर पर डॉलर को स्थानापन्न करने के लिए एशियाई देशों की एक बास्केट बनाने के साथ एक एशियन मुद्रा यूनियन के गठन के लिए जोरदार कोशिशें करनी चाहिए।

गरीबी उन्मूलन

9. स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी हमारा देश गरीबी से त्रस्त है। इस बुराई को हमारे देश से हटाने के लिए गरीबी के उन्मूलन के लिए एक रेडिकल एजेंडा हाथ में लिया जाना चाहिए।

10. इस उद्देश्य के लिए, चरम गरीबी और गरीबी के बीच एक बैंड के तौर पर गरीबी (सामाजिक तौर पर न्यूनतम उपभोग के तौर पर परिभाषित) की रेखा की परिभाषा फिर से की जानी चाहिए।

11. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लंबे अरसे तक टिकाऊ रहे, इसके लिए उत्पादक रोजगार के सृजन और बुनियादी वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधानों द्वारा इस मुद्दे पर समग्रता के साथ काम किया जाना चाहिए।

12. निवेश गन्तव्य तय करते समय सार्थक रोजगार के सृजन को मानदंड बनाया जाना चाहिए। इसके साथ–साथ सामाजिक क्षेत्र खर्च बढ़ाया जाना चाहिए, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए और महंगाई पर सख्ती से लगाम लगनी चाहिए।

13. रोजगार और जनता एवं विभिन्न क्षेत्रों के बीच संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग को वापस बहाल किया जाना चाहिए।

अर्थव्यवस्था का ढांचा

14. अर्थव्यवस्था के ढांचे में सकारात्मक हस्तक्षेप द्वारा असमानता पर लगाम लगायी जानी चाहिए। धन–दौलत के संकेन्द्रण से निपटने के लिए आमदनी की ऊपर सीमा लागू की जानी चाहिए; आमदनी, धन–दौलत, पूंजीगत लाभों, जमीन जायदाद के टैक्सों, उपहारों पर अत्यंत उत्तरोत्तर उच्च कराधान को शुरू किया जाना चाहिए। इन कदमों के जरिये प्राप्त संसाधनों को ग्रामीण और उत्पादक क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

कृषि, खनन और वानिकी

15. कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यकलाप हमारे देश और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। निवेशों की लागत घटाकर और व्यापार की

शर्तों को किसानों के पक्ष में शिफ्ट कर कृषि को व्यवहार्य एवं सक्षम बनाया जाना चाहिए। बिचौलियों के प्रभाव को कम कर उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए मूल्यों का बड़ा हिस्सा उत्पादकों को मिलना चाहिए।

16. सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की जानी चाहिए। किसानों के हितों की बेहतरीन तरीके से रक्षा और एमएसपी मॉडल के साथ भविष्य में किसी छेड़छाड़ को रोकने के लिए हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए न केवल कानूनी बल्कि संवैधानिक स्टेटस पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इससे युक्तिसंगत फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा और लाभकारी मूल्य मिल सकेंगे। क्षेत्र–विशेष की एग्रो–क्लाइमेट (कृषि जलवायु) के अनुकूल पारम्परिक फसल पैटर्न को सब्सिडियों और राज्य–हस्तक्षेपों के जरिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साथ ही, नुकसान को कम से कम करने के लिए फसल बीमा कवरेज को व्यापक बनाया चाहिए।

17. खेत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का कोई तरीका निकाला जाना चाहिए और इस ग्रुप के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

18. सार्वजनीन जनवितरण प्रणाली की एक तर्कसंगत एवं जन–केंद्रित व्यवस्था के जरिये सार्वजनीन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आबादी को नकद हस्तांतरण बढ़ना चाहिए परंतु जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत हकदारी का स्थानापन्न कभी नहीं किया जाना चाहिए।

19. व्यापक भूमि सुधार लागू कर और सरकारी समितियों के गठन के जरिये जमीन के विखंडन (फ्रेगमेन्टेशन) और भूमिविहीनता से निपटा जाना चाहिए।

20. दीर्घकालिक पर्यावरण टिकाऊपन पर विचार करते समय खनन, वानिकी और वृक्षों की कटाई को इजाजत दी जानी चाहिए।

21. मछली पालन, पशु पालन और डेयरी उत्पादन में सहकारी समितियां बनाकर लघु स्तर उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अनुसंधान, विपणन और क्रेडिट में सरकार को सकारात्मक तरीके से हस्तक्षेप करना चाहिए।

मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग

22. उद्योग में इजारेदारियों को कारगर तरीके से रोका जाना चाहिए और मूल्य निर्धारण शक्तियां अंकुश के तहत रखी जानी चाहिएं। जोर श्रम–सघन कार्यकलापों पर होना चाहिए।

23. कारपोरेट प्रबंधन के स्ट्रक्चर का लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिए और सभी कानूनों एवं रेगुलेशनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उसे और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। समावेशिता एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए निजी फर्मों में वंचित एवं पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण शुरू किया जाना चाहिए।

सेवाएँ

24. रोजगार सुनिश्चित करने के लिए, पूंजी–सघन कार्यों के बजाय सेवा क्षेत्र के श्रम–सघन हिस्से को प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यापार, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और बीमा जैसे बड़े क्षेत्रों में फिजूल खर्च को खत्म किया जाना चाहिए।

25. बुनियादी ढांचे के भारी पूंजी–सघन और पर्यावरण के लिए हानिकारक मॉडल के बजाय इसे स्थानीय जरूरतों पर फोकस करते हुए सबसे अनुकूल तरीकों से काम करना चाहिए।

26. स्थानीय उत्पादन एवं उपभोग को प्रोत्साहन, कार्यस्थल के निकटतर आवास के प्रावधानों और ऊर्जा–कुशल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन जैसे कदमों को बढ़ावा देकर ट्रांसपोर्टेशन को कम से कम किया जाना चाहिए।

रक्षा

27. रक्षा बजट को अपेक्षाकृत कम करने के लिए पड़ोस में शांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत को इस क्षेत्र में शांति का अग्रदूत बनना चाहिए। इसके लिए, हथियारों की दौड़ और शत्रुता/युद्ध स्थितियां बंद की जाएं। रक्षा क्षेत्र का निजीकरण बंद किया जाना चाहिए।

सामाजिक क्षेत्र

28. न्यूनतम खर्च पर राज्य द्वारा उच्च–गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान कर जन–स्वास्थ्य एवं जन–शिक्षा को सभी स्तरों पर अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। निवारक स्वास्थ्य सेवा एवं आम कल्याण (जनरल वैल बीईंग) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

29. वहनीय उच्च शिक्षा तक सभी तबकों की पहुंच होनी चाहिए। छात्रवृत्तियों और अन्य मददगार संस्थानों में वृद्धि की जानी चाहिए।

30. स्वास्थ्य खर्चों को कम करने के लिए दवाइयों और फार्मास्युटिकलों की कीमतों को रेगुलेट (नियमित) किया जाना चाहिए। अनिवार्य लाइसेंसिग और जेनेरिक दवाईयों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

31. अंग बैंकों (ऑर्गन बैंकों) और ब्लड बैंकों को मजबूत करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ब्लड–डोनरों और ऑर्गन–डोनरों की राष्ट्रीय रजिस्टरी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डोनर के वास्तविक आए–जाए बगैर ब्लड डोनेशन कार्डों को अस्पतालों के एक नेटवर्क पर काम करना चाहिए।

32. वहनीय आवासन को प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाना चाहिए। आवासों के प्रावधान की जिम्मेदारी लेकर सरकार को रीयल एस्टेट की साठगांठ को खत्म करना चाहिए।

33. फास्ट–ट्रैक अदालतों के जरिये न्याय के शीघ्र किये जाने की व्यवस्था।

वित्त

34. देश के टैक्स–जीडपी अनुपात को बढ़ाकर 25 प्रतिशत पर लाया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष–टैक्स नेट को वर्तमान के एक प्रतिशत से बढ़ाकर आबादी का पांच प्रतिशत कर ऐसा किया जा सकता है। काली अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था और अधिक तरणशील एवं पारदर्शी होगी। कराधान के लिए ऐश्वर्य उपभोग को निशाने पर लेना चाहिए।

35. कारपोरेटों और हाई–नेटवर्थ व्यक्तियों के उच्चतर टेक्सेशन के प्रावधानों के साथ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स स्लेबें शुरू की जानी चाहिए।

36. पूंजीगत लाभों, धन–दौलत, इनहैरिटेंस (पुरखों से प्राप्त संपत्ति), संपत्ति और उपहारों पर टैक्स लगना चाहिए।

37. जीएसटी नेटवर्क को सरल बनाया जाना चाहिए और राज्यों को संघात्मक फ्रेमवर्क के साथ सुसंगत अधिक शक्तियां प्रदान कर उसका लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिए।

भारत के विचार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हमला

1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी विचारधारा और हिंदू राष्ट्र के उसके कार्यक्रम पिछले वर्षों में आगे बढ़े हैं। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, बड़े जोर–शोर से और सरकारी संरक्षण के साथ आरएसएस देश के ऊपर अपने स्वयं के एजेंडे को थोपने की कोशिश कर रहा है। हिंदू राष्ट्र की उनकी कल्पना हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित हर चीज के विपरीत है। स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया। वे जिन मूल्यों के पक्षधर थे उन्हें हमारे संविधान में अभिव्यक्ति मिली। आरएसएस, जो औपनिवेशिक अवधि में अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा, वह अब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और भारत को सचमुच धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक जनतंत्र बनाने की आकांक्षाओं को धूल में मिला रहा है।

2. भाजपा सरकार की निरकुंशतापूर्ण फंक्शनिंग और सरकार के कामकाज में आरएसएस विचारधारा के हस्तक्षेप तमाम लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक संस्थानों की ऑथरिटी और नैतिक पवित्रता को कमजोर कर रहे हैं। संसद, जो जनता की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है, को निष्प्रभावी और अप्रासंगिक कर दिया गया है। महत्वपूर्ण विधायी कामकाज को बिना किसी पर्याप्त बहस या छानबीन के भाजपा बहुमत के जरिये किया जा रहा है।

3. जब 2019 के जनादेश से मोदी सरकार फिर से सत्ता में आयी तो राजनीति में दक्षिणपंथी शिफ्ट बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा, न केवल राजनीतिक स्तर पर बल्कि हरेक क्षेत्र में। इतिहास की पुनः व्याख्या और हमारे राष्ट्र के आधार को पुनर्परिभाषित करने की कोशिशें अब खुलेआम हो रही हैं। वे अल्पसंख्यकों को विदेशी लुटेरों के तौर पर उन्हें अपमानित करते हुए और उनके अधिकारों एवं देशभक्तिपूर्ण साख पर सवाल करते हुए अपने सांप्रदायिक नजरिये से हमारे इतिहास को फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं।

संघीय ढ़ांचे पर हमला

4. हमारी शासन व्यवस्था एक संघीय ढ़ांचे पद आधारित है जिसमें सरकार के विभिन्न स्तरों पर कामकाज का बंटवारा किया गया है। हमारे संविधान में केंद्र–राज्य संबंधों के लिए एक सुपरिभाषित स्ट्रक्चर है। भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाली हमारी जनता की विविधताओं एवं आशाओं–आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक संघीय स्ट्रक्चर प्रदान किया। परंतु एक संगठन के तौर पर आरएसएस इस विविधता का विरोधी है। हिन्दी, हिंदू, हिंदुस्तान का उनका विचार एकाश्मक (मॉनोलिथिक) है और वह हमारे देश में सांस्कृतिक, भाषायी एवं क्षेत्रीय विविधता को समतल बनाना चाहता है। इस मकसद को हासिल करने के लिए और देश में सत्ता के एक–आयामी प्रवाह को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने अनेकानेक अवसरों पर राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है और इसके साथ यह सरकार हमारे संविधान की संघीय ढ़ांचे की भावना का क्षरण कर रही है। टैक्सों के हस्तांतरण से लेकर राज्य विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाने तक, भारत की विविधता पर हमला बहुआयामी है। भारत को ऐकिक (यूनिटरी) देश की तरह चलाने की उसकी प्रवृत्ति के खिलाफ अनेक राज्यों और राजनीतिक पार्टियों ने विरोध व्यक्त किया है। निर्वाचित राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार गवर्नर के पद का एक राजनीतिक पद के तौर पर दुरूपयोग कर रही है। इस संदर्भ में, गवर्नर के मुख्य रूप से रस्मी पद को खत्म करने की मांग भी बढ़ रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में जन शिक्षा के लिए एक अनर्थ के तौर पर आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों को शिक्षा के संवैधानिक तौर पर अधिदेशित अधिकार को भी स्वीकार नहीं करती और न ही यह राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांतों पर ध्यान देती है। इसे संसद में बिना किसी विचार–विमर्श के पारित किया गया। संघीय कसौटी समेत यह अनेक लिहाज से विफल है क्योंकि यह राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के व्यवसायीकरण, संप्रदायीकरण और केंद्रीकरण के लिए एक कोशिश है। लेवल प्लेईंग फील्ड को विकृत कर यह वंचित तबकों से आने वाले छात्रों के साथ भेदभाव करती है और सामाजिक न्याय के लोकाचार के खिलाफ है। शिक्षाविदों, समीक्षकों, छात्र संगठनों, राजनीतिक पार्टियों एवं अन्य हितधारकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बाहर कर देने वाली (एक्सक्लुजनरी) प्रकृति को चिन्हित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को थोपे जाने का विरोध किया जाना चाहिए।

संस्थानों को कमजोर करना

6. अनेक लोगों ने पिछले आठ सालों में न्यायपालिका में कार्यपालिका के हस्तक्षेप और न्यायपालिका के साथ उसके तनावों को चिन्हित किया है। इन संगठनों के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इनकम टैक्स विभाग और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) जैसी केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक विरोधियों को डराने–धमकने के लिए बार–बार इस्तेमाल किया जा रहा है। देश का संस्थागत ढांचा चरमरा रहा है क्योंकि अपने सर्वसत्तात्मक हिंदुत्व अभियान में आरएसएस–भाजपा हरेक मानदंड और परंपरा को रौंद रही हैं।

7. अपने सार में, राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ हिन्दू राष्ट्र के विचार के लिए प्रतिबद्ध एक सांप्रदायिक संगठन है। उसके तथाकथित हिन्दू राष्ट्र में, मुस्लिमों एवं ईसाईयों जैसे अन्य धर्मों से संबंध रखने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आरएसएस देश भर में अल्पसंख्यकों के ऊपर सुनियोजित तरीके से हमले कर रहा है और अब उनके खिलाफ भेदभाव करने के लिए राज्यशक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। आरएसएस द्वारा तैयार माहौल ने लव–जेहाद, बुर्का, तीन तलाक आदि जैसे अनेक मनगढंत बहाने बनाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। इन हमलों और संतों के एक समूह द्वारा जनसंहार के खुले आह्वानों के मामले में राज्य ने आंखे फेर ली हैं। उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक में भाजपा सरकारें मुस्लिमों के खिलाफ खुले आम भेदभाव कर रही हैं। कानून के शासन, न्यायपालिका की भूमिका और हमारे संविधान में स्थापित गैर भेदभाव के सिद्धांतों की सरासर अवमानना करते हुए न्याय का

बुलडोजर मॉडल खास तौर पर मुस्लिमों को निशाना बना रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलन्द आवाज और तीक्ष्ण लफ्फाजी को समाज का सांप्रदायिक लाईनों पर ध्रुवीकरण करने और महंगाई या रोजगार जैसे आबादी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए, पार्टी को मुस्लिमों के बीच जाति व्यवस्था और पदानुक्रम (हाईअॅराकी) का भी नोट लेना चाहिए, जहां पसमांदा मुस्लिम सामाजिक समानता एवं आत्म–सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनका अभिजात वर्ग उनके साथ भेदभाव कर रहा है। हमें उन्हें अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने की मांग करनी चाहिए। हमें अल्पसंख्यक समुदायों में बढ़ते कट्टरवाद पर भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें धर्मनिरपेक्ष लाईनों पर संगठित करने की कोशिश करनी चाहिए।

दलितों पर बढ़ते हमले

8. भाजपा का विचारधारात्मक मूल–स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मनुवादी संगठन है जो चतुर्वर्ण, समाज के चार हिस्सों में विभाजन और लोगों के बीच उंच नीच वाले भेदभाव के ढ़ांचे में विश्वास करता है। चतुर्वर्ण की क्रूरतापूर्ण विचारधारा ने दलितों को सदियों से शिक्षा, समान अवसर और गरिमा से वंचित किया है और आज भी कर रही है। आरएसएस की सरकार के सत्ता में आने के बाद दलितों पर हमले और संस्थागत भेदभाव नए शिखर पर पहुंच गए हैं। जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने प्रतिपादन किया है हिंदुत्व विचारधारा समानता की विरोधी है। परंतु यह एक ऐसी वृहत्तर हिंदू पहचान को प्रस्तुत कर, जो आरएसएस के अनुसार मुसलमानों द्वारा खतरे में है, दलितों को अपने बाड़े में सम्मिलित करने की कोशिश कर रही है। और ये सब पदानुक्रमी, भेदभावपूर्ण और राष्ट्रविरोधी जाति–ढांचे में बिना कोई छेड़छाड़ किए किया जा रहा है।

आदिवासी प्रश्न

9. देश की आदिवासी आबादी भाजपा सरकार के तहत बहुआयामी हमलों का सामना कर रही है। एक तरफ खान–खदानों एवं खनिज संसाधनों का आक्रामक तरीके से निजीकरण हो रहा है, वनों पर छापों और पर्यावरण क्षति से उनकी रोजी–रोटी को खतरा पहुंच रहा है, दूसरी तरफ, आरएसएस के ऐसे दावों, कि आदिवासी वनवासी हैं और मूलतः हिन्दू हैं, के फलस्वरूप सामाजिक झगड़े हो रहे हैं क्योंकि आरएसएस आदिवासियों के हिन्दुइज्म में ''पुनर्धर्मान्तरण'' के लिए कोशिश करता है। पसंद एवं आस्था की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाते हुए कई भाजपा शासित राज्यों में धर्मान्तरण कानून पारित किए गए हैं। देश के अनेक हिस्सों में, आदिवासी युवाओं, जिन्हें शिक्षा एवं काम की जरूरत है, उन्हें नक्सलवादी का नाम देकर नियमित रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है। संविधान का पांचवां शेड्यूल एवं वन अधिकार कानून लाने में वामपंथ ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की परंतु उनका क्रियान्वयन लचर बना हुआ है जो एक गंभीर मुद्दा है और जिससे आदिवासी आबादी के अधिकारों का हनन होता है।

पिछड़ी जातियां

10. आरएसएस–भाजपा पिछड़ी जातियों के बीच एक वृहत्तर हिन्दू पहचान के आधार पर काम करने की कोशिश कर रहा है। इसके फलस्वरूप विभिन्न जातियों का दृढ़ीकरण (कन्सोलिडेशन) एक ठोस हिन्दू वोट बैंक में बदल रहा है। वे जाति की पदानुक्रमी (हाईरारकल) प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए बगैर इसकी कोशिश कर रहे हैं। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि भाजपा सामाजिक तौर पर हाशिये पर पड़े तबकों का समर्थन केवल हिन्दुत्व के आधार पर ही नहीं बल्कि जाति के अंदर के विभाजनकारी मुद्दों एवं मतभेदों को इस्तेमाल कर भी हासिल कर रही है। यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के कमजोर तबके ऊपर उठती हुई प्रबल जातियों के खिलाफ सामने आ रहे हैं और इसके बावजूद कि ये पिछड़ी जातियां हिन्दुत्व के सांप्रदायिक विचार का पूरी तरह समर्थन नहीं करती, आरएसएस–भाजपा उनकी भावनाओं का राग अलापने और उनका समर्थन प्राप्त करने में सक्षम हैं। सत्ता में हिस्सेदारी बंटाने की ललक भी इन समुदायों को भाजपा के निकट ला रही है। चुनावी फायदे के लिए इस विभाजन का इस्तेमाल करने के लिए भाजपा जानबूझ कर दलितों को अन्य जातियों के खिलाफ और एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा कर रही है।

11. जाति जनगणना कराए जाने की मांग को रफ्तार मिल रही है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं नीति निर्माण के लिए जाति आंकड़ा आवश्यक हो गया है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने जनगणना कार्य में जाति के मापदंड को शामिल किया था, परंतु बाद में वाजपेयी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने उस फैसले को उलट दिया। बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां जाति जनगणना कराने के लिए सहमत हुई हैं। उसी तरह की मांग अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी उठा रही हैं। परंतु अभी तक भाजपा सरकार जनगणना में जाति मापदंड को न शामिल करने की जिद पर है।

महिलाओं की स्थिति

12. पितृसत्ता देश के उन प्रमुख मुद्दों में से एक है जिससे निपटा जाना है। इस मुद्दे पर आरएसएस–भाजपा ने अनेक बार अपना असली रंग दिखाया है क्योंकि वे मनु के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, जहां स्वतंत्रता के ठीक बाद हिंदू कोड बिल से शुरू होकर आज तक, महिलाओं के लिए कोई सामान्य जगह (पब्लिक प्लेस) नहीं है; महिलाओं को पुरूषों से नीचा समझा जाता है और उम्मीद की जाती है कि वे केवल परिवार की जरूरतों की देखभाल करें। विचार की इस धारा ने महिलाओं के लिए समाज में कामगारों के तौर पर या नेतृत्व की भूमिका में योगदान करना बड़ा मुश्किल कर दिया है। पुनरूत्थानवादी रूझान के एक हिस्से के तौर पर लिंग–रूढ़िबद्धताओं को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध एवं हिंसा आम बात हो गई है; यहां तक कि भाजपा नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और राज्यतंत्र द्वारा उनको समर्थन के अनेक मामले सामने आए हैं। हमारी पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण के लिए लगातार संघर्ष किया है परंतु मोदी सरकार के अंतर्गत यह बिल अभी तक नहीं लाया गया है।

13. भाजपा–आरएसएस शासन में महिलाओं की स्थिति सामाजिक स्टेटस के साथ–साथ आर्थिक तौर पर भी बदतर हो रही है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2022 में सर्वे किए जाने वाले146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है। रोजी–रोटी पर नवउदारवाद के आक्रामक हमले ने महिलाओं पर सबसे अधिक असर डाला है। महिलाओं के लिए श्रम शक्ति भागीदारी दर में गिरावट आ रही है और देखभाल एवं घर से जुड़े ऐसे कामों में महिलाओं का अत्यधिक संकेंद्रण है जिनमें कोई पैसा नहीं मिलता। ये सब प्रतिकूल बातें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे 2019–21 में प्रतिबिंबित होती हैं। सर्वे से इस दयनीय तथ्य का पता चलता है कि 15–49 आयु समूह की महिलाओं में 57 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पतता की शिकार हैं। महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है क्योंकि संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों पर क्रियान्वयन अपर्याप्त बना हुआ है। मनरेगा स्कीम पर बार–बार हमले और स्कीम के लिए फंड के आवंटन में देरी कामकाजी ग्रामीण महिलाओं, जो मनरेगा के तहत काम करने वाली श्रमशक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, उनके हितों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रही है।

विकसित होती राजनीतिक स्थिति

1. उपरोक्त राजनीतिक घटनाक्रमों एवं पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यदायित्व यह है कि अपनी पार्टी को ऐसी स्थिति में लाएं कि वह राष्ट्रीय एजेंडे को सार्थकता से आकार दे सके और उसे प्रभावित कर सके। विकसित होती राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को उसकी समग्रता से समझने के लिए भारतीय संदर्भ में मार्क्सवाद–लेनिनवाद लागू करना ही एकमात्र राह है। अपने भावी राजनीतिक रास्ते को फॉर्मुलेट करने से पहले हमें भारतीय संदर्भ और उसकी विशिष्टताओं के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। सामाजिक संगठन के एक अत्यंत अलग फ्रेमवर्क के साथ भारत एक आश्चर्य चकित करने वाली विविधताओं वाला देश है और अपनी राजनीतिक–कार्यनीतिक लाईन को और अधिक समग्रतापूर्ण एवं वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने वाली बनाने के लिए हमें इन ऐतिहासिक एवं समकालीन विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

जाति प्रश्न

2. यहां यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि भारतीय समाज

केवल वर्गों और परस्पर विरोधी हितों में ही नहीं बंटा है बल्कि हमारे यहां एक ऐसा जाति ढांचा है जो लचीला, हठीला एवं पदानुक्रमी (हाइअेराकिल) है। भारत के संबंध में लिखते हुए कार्ल मार्क्स ने जाति को ''भारत की प्रगति एवं ताकत के लिए सबसे अधिक निर्णायक बाधा'' का नाम दिया था और उन्होंने भारतीय संदर्भ में जाति की केन्द्रिकता को रेखांकित किया। जाति ढांचा श्रम के पुश्तैनी विभाजन की शर्त लगाता है और लगभग हर स्तर पर श्रमशक्ति के प्रवेश को प्रोत्साहित करता है या उस पर पाबंदी लगाता है और इस प्रकार लोगों के लिए भौतिक वर्ग ढांचे को जन्म के आधार पर खोलता है या बंद करता है। इस कारण जाति सोपान के पदानुक्रमी तल में जो लोग हैं वे आमतौर पर हमारे समाज के सबसे अधिक गरीब और सबसे अधिक अभागे लोग हैं। वे जाति–भेदभाव के पूंजीवादी शोषण और प्रतिदिन के हमलों का सामना करते हैं। भारतीय समाज की इस पदानुक्रमी प्रकृति, जो समानता के अवसर को उत्तरोत्तर कम करती है, को अनदेखा कर कोई क्रांतिकारी कार्यनीति नहीं बनाई जा सकती।

बदलती वर्ग डायनेमिक्स (गतिकी)

3. हमारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के तीन दशकों से अधिक समय में स्वयं मजदूर वर्ग में भारी बदलाव आए हैं। सबसे पहली बात तो यह कि पूंजी–सघन उद्योगों में ऑटोमेशन ने कार्यस्थल की प्रकृति को बदल दिया है जहां अब कुशल मजदूर अधिकाधिक चाहिएं। उसके बाद नई सूचना प्रौद्योगिकी ने भी मजदूर वर्ग के कम्पोजीशन (बनावट) में अच्छा–खासा बदलाव किया है। और अधिक हाल के समय में, कोविड–19 महामारी ने भी काम की प्रकृति में बदलाव किए हैं जिसमें अनेक नियोक्ता, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में, यह पसंद करते हैं कि उनके कर्मचारी घर पर रहकर काम करें जिससे उनकी अचल लागत बच जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवेश कृषि से जुड़ी आबादी की रोजी–रोटी को खतरा पहुंचा रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पर जमीन हड़पे जाने, निजी क्षेत्र मे बेरोजगारी और सरकार की मदद के अभाव के कारण ग्रामीण मजदूर कंगाल होते जा रहे हैं।

4. मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ी है और यह मुख्यतः निजी क्षेत्र में काम करता है। वे अलग किस्म की समस्याओं का सामना करते हैं और उन्होंने विभिन्न राजनीतिक प्राथमिकताएं अपनाई हैं। इस वर्ग ने मत–निर्माताओं के तौर पर प्रभाव हासिल किया है और उनके मुद्दों के साथ जुड़कर ही उन तक पहुंच बनायी जानी चाहिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स (एआई) जैसी टेक्नोलॉजियों ने जड़े जमा ली हैं जिसके कामकाजी लोगों के लिए निहितार्थ हैं। कार्रवाई के लिए हमारे भावी रास्ते को तय करते समय इन मुद्दों के संबंध में हमें अपनी समझ को विकसित करने की आवश्यकता है। ट्रेड यूनियनों को चाहिए कि डिजिटल तरीके से काम करने वाले क्षेत्रों पर गहन विचार करें और भारी असुरक्षा के वातावरण में श्रमशक्ति में प्रवेश करने वाले नये मजदूरों के राजनीतिकरण की कोशिश करें। इस बीच, कृषि, कन्स्ट्रक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग जैसे परंपरागत क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को तेज किया जाना चाहिए।

पितृसत्ता

5. पितृसत्ता और अनुवर्ती नारी द्वेष एक अन्य प्रमुख मुद्दा है जो हमारी आधी आबादी को मातहती में डाल देता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक ऐसी आफत है जो हमारे समाज के पीछे पड़ी है। महिला स्वतंत्रता के प्रति उसके चरम संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सत्ता में आने से यह मुद्दा और अधिक बढ़ा है। वे महिलाओं की जगह चारदीवारी के अंदर निर्धारित करते हैं और पुरूषों की ताबेदारी को उनके एक गुण की तरह पेश करते हैं। वे महिलाओं की छवि को एक ऐसी आदर्श गृहणियों (होम मेकरों) के तौर पर प्रोत्साहित करते हैं जो परिवार के पुरूष सदस्यों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की हिस्सेदारी के प्रति उनका विरोध उतना ही पुराना है जितना यह संगठन। आरएसएस ने उस हिंदू कोड बिल का विरोध किया था जिसका मकसद महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देना था। भाजपा–आरएसएस सरकार के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं जिससे महिलाओं की कार्यक्षमता और स्पेस पर पाबंदी लगती है। महिलाओं के संघर्ष मात्र आर्थिक नहीं हैं बल्कि

सामाजिक एवं सांस्कृतिक भी हैं, अतः हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा।

आरएसएस–भाजपा गठजोड़

6. इस समय भारत में भारतीय जनता पार्टी का राज है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रत्यक्ष राजनीतिक शाखा है। जैसा कि गोलवलकर ने स्वयं माना, आरएसएस मुसोलनी और हिटलर से प्रेरित है, और उन्होंने एक प्राइवेट पैरामिलटरी समेत अपने संगठन में फासिस्ट संगठनात्मक सिद्धांतों का अनुसरण किया है। महात्मा गांधी की हत्या और आरएसएस–हिन्दू महासभा के साथ हत्यारे के संपर्को के बाद इस संगठन के प्रति बड़ी नफरत पैदा हुई थी। परंतु जनता सरकार के दौरान जब आरएसएस के सदस्य वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री बने तो उन्हें स्वीकार्यता प्राप्त हुई। आरएसएस ने इस अवसर का इस्तेमाल शैक्षणिक समुदाय एवं नौकरशाही में घुसपैठ के लिए किया और ऐसी गतिविधियों को प्रायोजित किया जो भारत की विविधता और हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार के विरूद्ध हैं। यह संगठन हिंदू–राष्ट्र स्थापित करने के ध्येय के प्रतिबद्ध है जो हमारे धर्मनिरपेक्ष प्रतिनिधिक लोकतंत्र के विपरीत है। जब से भाजपा को बहुमत मिला है, सभी प्रमुख नीति निर्णयों पर आरएसएस छाप की घोषणा की जाती है। वे एक सुविचारित रणनीति के साथ ''साझा दुश्मन'' अर्थात मुस्लिमों एवं कम्युनिस्टों के खिलाफ एकजुट होने के लिए देश में निरंकुशतापूर्ण बहुसंख्यकवाद को स्थापित एवं संस्थागत करने की कोशिश कर रहे हैं।

7. अब से पहले, आरएसएस का प्रभाव शहरी उच्च जाति, छोटे पूंजीवादियों, व्यापारियों, तिजारतियों और ऐसे ही तबकों तक सीमित था। परंतु समय और संसाधनों के साथ वे समाज के लगभग सभी तबकों में प्रभाव की विभिन्न मात्रा के साथ घुस गए हैं। आरएसएस सम्बद्धता के साथ सिविल सर्वेट, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक एवं छात्र अपनी हैसियत से आरएसएस के एजेंडे एवं विचारधारा को फैलाने में सक्रिय हैं। आरएसएस के प्रभाव को रक्षा और न्यायपालिका में भी देखा जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में भी, आरएसएस समर्थन के साथ विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन किसानों और खेत मजदूरों को अपने बाड़े में शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा के सत्ता में आने के बाद आरएसएस के लोगों के लिए समाज के सभी तबकों तक पहुंचने के लिए सरकारी स्कीमें भी बड़ा कारगर तरीका बन गई हैं। इस प्रकार वे अपनी पहुंच और वैधता में भारी वृद्धि कर रहे हैं। आरएसएस भिन्न–भिन्न ग्रुपों को एक साथ लाने के लिए इस पहुंच और वैधता का कारगर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के बीच उन्होंने, जातियों के बीच विभाजनकारी मुद्दों एवं मतभेदों का इस्तेमाल करते हुए, और जाति की पदानुक्रमी एवं भेदभावपूर्ण प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ किए बगैर, उन्हें एकजुट करने के लिए एक वृहत्तर हिंदू एकता को प्रोजेक्ट किया है।

8. भाजपा कई राज्यों में सत्ता में है और हिंदी भाषी पट्टी में वह हावी स्थिति में है। उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश जैसे प्रमुख उत्तरी राज्यों में भाजपा की सरकार है। बिहार में भाजपा जनता दल (यूनाइटिड) के साथ और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ सत्ता में साझेदारी कर रही है। स्थानीय राजनीतिक संगठनों के साथ मिलकर या खरीद–फरोख्त के जरिये उत्तर–पूर्व के कई राज्यों में उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण में भाजपा केवल कर्नाटक में सत्ता में है। भाजपा की इन सरकारों में अनेक लोग आरएसएस पृष्ठभूमि से हैं और वे अंतर–धर्म विवाह पर रोक, धर्मान्तरण विरोधी कानून लाकर और धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने जैसे कदमों के जरिये अपने दकियानूसी सामाजिक एजेंडे को अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस की उच्च जाति एवं पितृसत्तात्मक मानसिकता इन राज्यों के सरकारी कामों में भी नजर आती है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

9. विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंतरिक झगड़े, दल–बदल, इसके नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विचारधारात्मक सुसंगति के अभाव जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस चुनावी युद्ध में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक ठोस विपक्षी एकता का निर्माण करने में समर्थ नहीं रही है। कांग्रेस विपक्ष को राह दिखाने और जोड़ने में विफल रही और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर उसका दृष्टिकोण तदर्थ (एडहॉक) रहा है। अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां अब विपक्ष की कतारों में केंद्र–स्थान का दावा कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी दो राज्यों–राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में सत्ता में है और महाराष्ट्र एवं झारखंड सरकारों में गठबंधन पार्टनर है। ये सरकारें भी भाजपा की तरह नव उदारवादी मॉडल का अनुसरण करती हैं।

10. एक मजबूत एवं सक्षम विपक्षी एकता को जो प्रमुख मुद्दे ग्रहण लगा रहे हैं वे आर्थिक और सामाजिक दोनों हैं। उदारीकरण के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारात्मक तौर पर असंगत और अस्थिर हो गई। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में बाबरी मस्ज्दि के ध्वंस के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष क्रेडेन्शियलों (साख) पर भी सवाल उठे। धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर, कांग्रेस का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं रहा है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक आधार पर दृढ़ रहने के बजाय उसका नेतृत्व आज भी हिन्दुइज्म बनाम हिंदुत्व की बहस में लगा है। आर्थिक मोर्चे पर, कांग्रेस और भाजपा दोनों नव उदारवादी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। इसके फलस्वरूप विमर्श दक्षिण को शिफ्ट हो गया है। आरएसएस–भाजपा के मुकाबले कोई वैकल्पिक गठबंधन उनसे एकदम भिन्न होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इसका नोट लेना चाहिए। उन्हें अर्थव्यवस्था के नेहरू–मॉडल बनाम भाजपा के आक्रामक नव उदारवाद पर पुनर्विचार करना चाहिए। विपक्षी पार्टियों के बीच एक ठोस समझ पर पहुंचने के लिए इन मुद्दों पर विचारधारात्मक तौर पर विचार किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय पार्टियां

11. भाजपा के कुछ मजबूत प्रतिद्वंदी, जिन्होंने उनकी राष्ट्रीय वर्चस्ववादी महत्वकांक्षाओं को नाकाम किया, वे क्षेत्रीय पार्टियां थी। तमिलनाडु में द्रविड मुनेत्र कड़गम ने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टियों का गठबंधन बनाया और भाजपा–एआईएडीएमके गठबंधन को शिकस्त दी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व वाला गठबंधन भाजपा–जेडी (यू) को शिकस्त देने के नजदीक पहुंचा। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत की अति–प्रचारित कोशिश को तृणमूल कांग्रेस ने नाकाम किया। दक्षिण राज्यों में, जहां जगनमोहन रेड्डी और के.चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में क्षेत्रीय पार्टियां क्रमशः आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में राज कर रही हैं, भाजपा की उपस्थिति सीमित रही। उड़ीसा में बीजू जनता दल ने अपने दबदबे को और मजबूत कर लिया है और वहां भाजपा ने कांग्रेस को मुख्य विपक्षी पार्टी के स्थान से हटा दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर उभर कर आयी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी सत्ता को सुरक्षित रखा और हाल में पंजाब में जीत हासिल की। ये पार्टियां भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं प्रदर्शित कर रही हैं।

12. क्षेत्रीय पार्टियों में से अधिकांश के साथ एक प्रमुख मुद्दा उनका मध्य से दक्षिण झुकाव और सामाजिक दकियानूसीपन है। क्षेत्रीय पार्टियां में अधिकांश नव उदारवाद की सुसंगत आलोचना नहीं करती और उनमें से अनेक दबाव में आकर और विकास के प्रति वैकल्पिक विचारधारात्मक दृष्टिकोण के अभाव में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वित्तीय एजेंसियों के इशारे पर काम करती हैं। नीति और प्रशासन के मामलों में वे वित्तपूंजी के प्रवाह के साथ राजनीतिक स्पेक्ट्रम के अधिकाधिक दक्षिण की तरफ झुक रही हैं। नव उदारवाद पर उनका विचारधारात्मक विश्वास आर्थिक स्पेस को इजारेदारियों के लिए खुला छोड़ देता है। भाजपा के खिलाफ एक वैकल्पिक मॉडल पेश करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को स्पेक्ट्रम के मध्य की दिशा में बढ़ना चाहिए।

13. धार्मिक क्रेडेंशियलों का खुला प्रदर्शन, जाति आधारित ग्रुपिंगों पर निर्भरता, विकास के वैकल्पिक तरीकों के साथ सामने आने में हिचक, श्रम अधिकारों को स्थापित करने और भूमि सुधारों के संबंध में और समाज का जातिग्रस्त, पितृसत्तात्मक एवं शोषणकारी फ्रेमवर्क, आरएसएस का सामाजिक एवं सांस्कृतिक तौर पर सामना करने में असमर्थता–ये तमाम बातें उसी हिंदू सामान्य बोध (कॉमन सेंस) को मजबूत बनाती हैं जिसे आरएसएस आगे बढ़ाता है। आरएसएस–भाजपा को शिकस्त देने के लिए एक सक्षम एवं व्यावहारिक एकता के निर्माण के लिए इन मुद्दों पर ध्यान देने की अत्यधिक आवश्यकता है। दुर्भाग्य से वामपंथ की चुनावी विफलताओं ने क्षेत्रीय पार्टियों में से कुछ के लिए आर्थिक दक्षिणपंथ को अधिक लाभप्रद बना दिया है। इस रूझान को रोकने के लिए और नीति निर्माण को मध्य से वाम की तरफ लाने के लिए समाज में वामपंथ की और अधिक मात्रा में एवं सघन उपस्थिति की जरूरत है।

सिद्धांतनिष्ठ विपक्षी एकता

14. इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि मध्य से दक्षिण की स्थिति अपनाने और सामाजिक दकियानूसीपन से आरएसएस–भाजपा को शिकस्त नहीं दी जा सकती। आरएसएस जिस चीज को आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष का एजेंडा उससे मौलिक तौर पर भिन्न होना चाहिए। अतः आरएसएस–भाजपा के खिलाफ एकता को मजबूत करने के लिए मध्य से वाम की स्थिति अपनाने की आवश्यकता है। इस एकता के निर्माण के लिए वामपंथ को पहलकदमी करनी होगी। इतना कहने के बाद, एक सुस्पष्ट इकोनोमिक विकल्प एवं सामाजिक मेलजोल को सामने रख वामपंथ को चाहिए कि आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ उनको लामबंद करने के लिए वह जनगण के पास जाए।

लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (वाम लोकतांत्रिक मोर्चा)

15. यहां यह नोट किया जाना चाहिए कि केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट. सरकार सुविधापूर्ण बहुमत के साथ फिर से चुनी गई और वातावरण को सांप्रदायिक करने की अपने भरसक कोशिशों के बाद भी भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। एलडीएफ की जीत उस वैकल्पिक मॉडल का परिणाम थी जो एलडीएफ ने केरल की जनता के सामने पेश किया है और जनता ने वामपंथ में अपने विश्वास को फिर से व्यक्त किया है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करो

1. संविधान के लागू होने के तुरंत बाद, वैध की गई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहला आम चुनाव लड़ा जो 25 अक्तूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। 1957 में हुए दूसरे आम चुनावों में हमने विपक्ष का अपना नेतृत्व बनाए रखा और लगभग नौ प्रतिशत वोट शेयर हासिल कर और 27 सीटें जीत कर अपने प्रदर्शन को बेहतर किया। इन चुनावों में हमने जो सीटें जीतीं वे मुख्यतः उन इलाकों में थी जहां हमने जमीन और मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर जनसंघर्षो का नेतृत्व किया था। बंगाल अकाल के दौरान हमारे काम और हमारे सांस्कृतिक काम की सफलता ने हमें जनता के लिए सुलभ बनाया। हमने राज्य विधानसभा चुनावों में भी सफलता पाई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल के नवगठित राज्य में सरकार बनाई और तमिलनाडु क्षेत्र, आंध्रप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। बंबई में हमारी पार्टी ने ट्रेड यूनियनों के जरिये वर्किंग क्लास बस्तियों में नेतृत्व हासिल किया।

2. 1962 के चुनावों में दस प्रतिशत वोट शेयर के साथ 29 सीटें जीतकर हमने अपने चुनावी सूचकांक को आगे बेहतर बनाया। जोतने वाले को जमीन के हमारे कार्यक्रम को केरल, तमिलनाडु एवं आंध्रप्रदेश के परंपरागत गढ़ों–जहां हमने जुझारू जनसंघर्ष जारी रखे–के साथ–साथ बिहार, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे नये इलाकों में अनुमोदन मिल रहा था। ट्रेड यूनियनों, किसान सभाओं, युवा, छात्र एवं सांस्कृतिक फ्रंट जैसे सभी फ्रंटों में अपनी उपलब्धियों को और मजबूत कर इन इलाकों में हमारे आंदोलन की सफलता और हमारे प्रभाव की मात्रा, चुनावी सफलताओं में तब्दील हो गई। यह देखा जा सकता है कि 1970 के दशक के बाद जब हमने एक संसदीय ताकत के तौर पर अपने आपको दृढ़ता से स्थापित किया और हम राष्ट्रीय एजेंडे को काफी हद तक योगदान दे रहे थे, तो उस समय हमारे जनसंघर्षो में एक कमी आना शुरू हो गई। हमने एक साधन के तौर पर संसदीय रास्ते को चुना परंतु इसे स्वयं में एक लक्ष्य के तौर पर समझा जाने लगा।

3. निरंतर एवं जुझारू जनसंघर्षो के अभाव और केवल चुनावों पर फोकस करने से हमें दोनों तरह से नुकसान पहुंचा। यह स्पष्ट है कि हमने जन आंदोलन के नेतृत्व का दावा कर अपना चुनावी आधार बनाया था। अतः उस कार्यकलाप में धीमा पड़ने का नतीजा यह निकला कि हमारे वोट आधार का विखंडन हो गया और हम

जन कार्रवाईयों के लिए नए क्षेत्रों को विकसित नहीं कर सके। पार्टी में विभाजन से भी नुकसान पहुंचा। 1990 के दशक के आते–आते हमारा वोट शेयर गिरकर लगभग 2.5 प्रतिशत पर आ गया और 1991 के चुनावों में हमने लोकसभा में14 सीटें जीतीं। हमने सांप्रदायिकता का डटकर विरोध किया और मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया परंतु उसी समय उदारीकरण की नीतियों के लागू किए जाने से राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए।

4. उदारीकरण के बाद की अवधि में निजीकरण, मतदाताओं का विखंडन, परिवार के छोटे हो जाने की प्रवृत्ति और चरम व्यक्तिपरकता हावी रही है। इससे ट्रेड यूनियनों, किसान सभाओं एवं खेत मजदूर यूनियन एवं शहरी क्षेत्रों में भी हमारी ताकत को नुकसान पहुंचा। सामाजिक आंदोलन, जहां उनका अस्तित्व है, एक दूसरे से अधिकाधिक अलग–थलग हो गए हैं।

5. वर्तमान स्थिति का तकाजा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत बने। सभी स्तरों पर अपने पार्टी संगठन में आवश्यक महत्वपूर्ण बदलाव कर पार्टी को हर किस्म के विचलन, असंगत प्रवृत्तियों और कमजोरियों से पार पाना होगा ताकि वह जनता के साथ फिर से जुड़ सके। पार्टी को ठोस मुद्दों पर जमीनी स्तर के आंदोलनों का निर्माण करना होगा, मजबूत जन आधारों के साथ पार्टी को मजबूत करना होगा। तब जाकर अपनी ताकत, कार्यक्रम और नीतियों के बल पर पार्टी किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम में हस्तक्षेप करने में समर्थ होगी और किसी भी संभाव्यता का सामना करने की पोजीशन में होगी।

6. हमारी पार्टी के सदस्यों और जनता के सभी तबकों के बीच मार्क्सवादी–लेनिनवादी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए अद्यतनः सिलेबस और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से अपने राजनीतिक–विचारधारात्मक कामों को तेज करने के लिए पार्टी समुचित कदम उठाएंगी।

7. पार्टी को राजनीतिक–विचारधारात्मक और संगठनात्मक तौर पर मजबूत कर हम व्यापक–आधार जुझारू आंदोलन शुरू करने की पोजीशन में होंगे। यह एक चुनौतीपूर्ण बात है परंतु जैसा कि हमने अपने विकास एवं पराभव से देखा है, जब हम मेहनतकश जन की मुक्ति के लिए इस तरह के संघर्षों का नेतृत्व करते हैं तो हम बेहतरीन काम करते हैं। उभरते मुद्दों की पहचान कर, शोषित लोगों को एकताबद्ध कर और समाजवाद के घोषित लक्ष्यों के प्रति उनका राजनीतिकरण कर हमें राजनीति में अपनी प्रमुख भूमिका को वापस प्राप्त करने की आवश्यकता है।

वामपंथ की एकता के सम्बंध में

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्र और इसकी जनता के मूलभूत अधिकारों की रक्षा में वामपंथ की भूमिका के बारे में स्पष्ट है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विश्वास है कि वर्ग शोषण, जातिगत भेदभाव और लिंगगत अशक्तताएं परस्पर–संबद्ध हैं और इसे भाजपा के खिलाफ हमारे प्रतिरोध का आधार बनना चाहिए। आरएसएस फासिस्ट विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है और वामपंथ की यह ऐतिहासिक भूमिका है कि उसके खिलाफ संघर्ष करे और उसे पराजित करे। दृष्टि की इस स्पष्टता के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने वामपंथी एकता के झंडे को उठाया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समझती है कि भारतीय राजनीति में वामपंथ के एक मजबूत एवं स्वतंत्र स्तंभ के निर्माण के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन का एकीकरण समय का तकाजा है। यह एकता न केवल धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताकतों के व्यापक गठबंधन के निर्माण में बल्कि सामाजिक मुक्ति के लिए संघर्षों को मजबूत करने में भी एक समर्पित एवं उद्देश्यपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने में मदद करेगी।

शासक भाजपा/ एनडीए सरकार के विरूद्ध देशभक्त ताकतों की व्यापकतर एकता के लिए

1. भाजपा/एनडीए कुशासन ने देश को गहरे संकट में डाल दिया है। हमारे देश की जनता पर साम्प्रदायिक फासिस्टी हमलों ने हमारे देश के लोकतांत्रिक ताने–बाने, स्वतंत्रता और एकता को भारी तौर पर कमजोर किया है जिससे देश की सम्प्रभुता को खतरा पैदा हो रहा है।

2. इस संदर्भ में यह अत्यंत आवश्यक है कि केंद्र एवं राज्यों दोनों में भाजपा/एनडीए सरकार के एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक विकल्प को विकसित करने के लिए एकजुट होने के लिए तमाम धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और वामपंथी ताकतों के एक व्यापकतम गठबंधन का निर्माण किया जाए।

3. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अपने जहरीले एजेंडे और सत्ता पर जारी रहने के साथ समाज में गहरे तौर पर जुड़ने की कोशिशों में लगी साम्प्रदायिक फासिस्ट ताकतों के मन्सूबों को नाकाम करने के लिए और लोकतांत्रकि, धर्मनिरपेक्ष और देशभक्त ताकतों को इस तरह के विकल्प के साथ जोड़ने के लिए वामपंथी ताकतों की एकजुटता और जुझारू जन–कार्रवाईयों के विस्तार का निर्णायक महत्व है।

हमारी राजनीतिक कार्यनीति

1. वर्तमान समय की जटिल परिस्थिति में अपनी राजनीतिक कार्यनीति पर विचार–विमर्श करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को एक ऐसे नये भारत के लिए, जहां धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र सामाजिक न्याय और समाजवादी लक्ष्य संरक्षित हों, संघर्ष करने के लिए तमाम प्रगतिशील ताकतों को लामबंद करना है। केवल एक समझौताविहीन प्रतिबद्ध संघर्ष के जरिये ही हम अपने उन सपनों को पूरा कर पायेंगे जिनकी स्वतंत्रता आंदोलन ने अभिलाषा की थी। इस निर्णायक संघर्ष का परिणाम क्या होगा, उसी से राष्ट्र की नियति तय होगी।

2. हमारा लक्ष्य राजनीतिक पार्टियों, जन एवं वर्ग संगठनों और हमारे संविधान की रक्षा के लिए काम कर रहे सामाजिक आंदोलनों की व्यापकतम एकता का निर्माण और आरएसएस एवं भाजपा की फूटपरस्त एवं जहरीली नीतियों के खिलाफ अपने एकताबद्ध संघर्ष को तेज करना होना चाहिए।

3. मोदी सरकार और आरएसएस के नव–उदारवादी एवं फासिस्टी हमले का अंत करने के लिए हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से पहलकदमी करेगी और साथ ही वामपंथी एवं अन्य पार्टियों के साथ संयुक्त कार्रवाईयों में भी हिस्सा लेगी। इस लिहाज से, जुझारू जन संघर्षों को तेज करने के लिए पार्टी वामपंथी तालमेल को मजबूत करने की कोशिश करेगी। ये जनसंघर्ष अन्ततः अन्य राजनीतिक पार्टियों, जन एवं वर्ग संगठनों एवं सामाजिक आंदोलनों के साथ मिलकर और अधिक बड़े संघर्षों के लिए स्थितियां पैदा करेंगे।

4. जहां तक चुनावी कार्यनीति का सम्बंध है, 23वीं कांग्रेस का फॉर्मूलेशन आज भी मान्य है। यह स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि समूचे देश के लिए एक कार्यनीति नहीं हो सकती, परंतु मूलभूत लक्ष्य भाजपा/ आरएसएस गठजोड़ को सत्ता से हटाना होना चाहिए। पार्टी जब भी चुनाव में जाए, तब ही चुनावी कार्यनीति को तैयार करना है। राज्यों में, चुनावी कार्यनीति को दोस्ताना पार्टियों के बीच वोटों के बंट जाने से बचने के लिए सम्बंधित राज्य में वस्तुगत राजनीतिक स्थिति और वहां राजनीतिक पार्टियों के सहसम्बंध को ध्यान में रखना है। एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प के निर्माण की दिशा में हमारे प्रयाण को आगे बढ़ाने के अलावा चुनावी कार्यनीति में राज्य और संसद के चुनावों में पार्टी को अच्छे–खासे प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिए। निर्वाचित निकायों में प्रतिनिधित्व पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों में सीट जीतने से शुरू होना चाहिए।

भावी कार्य–दायित्व

1. कोविड–19 ने हमारे समाज को हिलाकर रख दिया है और हमने देखा कि निजी क्षेत्र पर अत्यधिक भरोसा रखने के कारण हमारा स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया। महामारी के वर्षों में एजुकेशन गैप (शिक्षा फर्क), डिजिटल डिवाइड और शिक्षा के बढ़ने निजीकरण ने अनेक के लिए शिक्षा को एक दूर का सपना बना दिया है। ग्रामीण भारत के अधिकांश में अत्यंत दयनीय जीवनस्तर चल रहा है और भूमिहीनता बढ़ रही है। भूमिहीनता और माइग्रेशन ने आवासन के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को जटिल बना दिया है और बेरोजगारी का संकट गहरा होता जा रहा है। मोदी शासन काल के अंतर्गत भूमंडलीय भूख सूचकांक में भारत के स्थान में लगातार गिरावट आई है। अतः **हमें जन–स्वास्थ्य, जनशिक्षा, आवासन और रोजगार को अपने एजेंडे के चार स्तम्भों के तौर पर तय करना चाहिए।**

2. हमारी पार्टी शाखाओं को सरकारी स्कूलों, कॉलिजों एवं सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के संघर्ष की अगुआई करनी चाहिए। उन्हें अपने मौहल्ले में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के नियमित दौरे और ऑडिट करने चाहिएं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और हर किसी को शिक्षा के मुद्दों के इर्दगिर्द क्षेत्र आधारित एकता का निर्माण किया जाना चाहिए और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति, और सरकार से उसकी जिम्मेदारी हटाकर किस प्रकार निजी क्षेत्र किस प्रकार उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है इसके प्रति लोगों को अवगत कराना चाहिए। हमें स्वास्थ्य सेवा को मूलभूत अधिकार घोषित किए जाने के लिए जनमत बनाना चाहिए और जन–स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कम से कम जीडीपी के 6 प्रतिशत के आवंटन की मांग करनी चाहिए। शाखा और इकाई स्तर पर समाज में एक आधार बनाने के लिए इस तरह के कदम की पूर्वापेक्षा की जाती है।

3. आवास एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों में जमीन के विखंडन और रोजगार के अभाव के कारण लोग काम की तलाश में शहरों को जा रहे हैं। ये मजदूर अधिकांशतः अकुशल या अर्ध–कुशल हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में मामूली–सी मजदूरी पर काम करते हैं। उनके लिए आवास का प्रश्न गंभीर है क्योंकि अपने जीवन के उत्पादक वर्षों को वे सड़कों की पटरियों, झुग्गी–झोंपडियों या कामचलाऊ ठिकाने में गुजारते हैं। अत्यंत अस्वास्थ्यकर परिस्थिति के कारण और स्वच्छता और चिकित्सा–सेवा के अभाव से उनकी उत्पादकता और आयुदीर्घता को नुकसान पहुंचता है। दसियों लाख लोग मकान न होने और सिर पर छत न होने के कारण तकलीफ पाते हैं। ग्रामीण, अर्ध–ग्रामीण और शहरी इलाकों में हमें इन मजदूरों को संगठित करना चाहिए और उनकी मांगों को उठाना चाहिए।

4. जमीन की उपलब्धता देश के अधिकांश हिस्सों में एक मुद्दा बना हुआ है। जबर्दस्त बेरोजगारी ने ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से को चरम गरीबी की दिशा में धकेल दिया है। मनरेगा रोजगार की गारंटी करता है पर विभिन्न राज्यों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच इसके क्रियान्वयन में अंतर है। हमारे कैडरों को एक्टिव होकर मनरेगा का सोशल ऑडिट करना चाहिए; ग्रामीण श्रमशक्ति से जुड़ना चाहिए और बेहतर मजदूरी, सुरक्षा और रोजगार अवसरों के लिए उन्हें संगठित करना चाहिए। पार्टी को राष्ट्रीय शहरी रोजगार कानून के लिए अपने संघर्षों को तेज करना चाहिए और जनता को इसके पक्ष में लामबंद करना चाहिए। हमारी मांगों में कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और भूमि सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण नीतियों को लागू करने की मांग को स्वीकार करे, इसके लिए दबाव बनाया जाना चाहिए।

5. ट्रेड यूनियनें पार्टी के गठन के समय से ही हमारी पार्टी की रीढ़ रही हैं। और अधिक क्षेत्रों एवं इकाईयों को, विशेषतौर पर उन उभरते क्षेत्रों को अपने दायरे में लाने के लिए, जो अत्यंत अस्थिर एवं असुरक्षित हैं, देश में ट्रेड यूनियन नेटवर्क को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। ट्रेड यूनियनों को सामजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय की मांगों के साथ निजी क्षेत्र में घुसना चाहिए। बेहतर मजदूरी और सुविधाओं के लिए हमारे संघर्षों को राजनीतिक कार्यक्षेत्र में बदलने के लिए कामकाजी लोगों के राजनीतिकरण को शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मजदूर वर्गो को राजनीतिक तौर पर सक्रिय रखने के लिए सेमिनारों, स्टडी सर्किलों, सामयिक विषयों पर वार्ताओं का नियमित तौर पर आयोजन किया जाना चाहिए।

6. देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में हमारी पार्टी लोकसभा या विधानसभा के चुनावों से पहले सक्रिय हो जाती है और उसके बाद लम्बे अरसे के लिए सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। यह समझना चाहिए कि चुनाव कोई एडहॉक कार्यकलाप नहीं है। जैसा कि पहले नोट किया गया, हमारी जैसी क्रांतिकारी पार्टी को चुनावी लाभांश (डिविडेंड) जनता के साथ उस जुड़ाव पर निर्भर करता है जो हम उनकी रोजी–रोटी के इर्दगिर्द उनके संघर्षों को संगठित और नेतृत्व कर जनता के साथ बनाते हैं। उसके बिना, चुनाव प्रचार कार्य से अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। हमारी प्राथमिकता हमारे इर्दगिर्द के मुद्दों की पहचान और उनका प्रतिनिधित्व करने पर होनी चाहिए। उसके लिए, जनता के साथ हमारा जुड़ाव अन्तरंग और पूर्णरूपेण होना चाहिए। इस तरह के लोगों के समर्थन के साथ ही एक व्यवहारिक एवं सक्षम चुनावी रणनीति बनायी जा सकती है।

7. हमें चुनावी उद्देश्यों के लिए विशिष्ट चुनाव क्षेत्रों को लक्ष्य बनाना चाहिए। बिना तैयारी के बड़ी संख्या में सीटों पर लड़ना फायदेमंद नहीं क्योंकि इससे संगठन का मनोबल टूटता है। हरेक राज्य में हमें संसद, विधानसभा, स्थायी निकाय क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और चुनाव क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों को डील कर और समय एवं प्रयास से अपने समर्थन–आधार को बढ़ाकर काफी पहले से ही तैयारियां करनी चाहिए। हमें जनता के साथ फिर से जुड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए।

8. 2024 के आम चुनाव हमारे देश और हमारी राजनीतिक प्रणाली के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आरएसएस–भाजपा गठजोड़ को सत्ता से हटाना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आरएसएस – भाजपा के कुटिल मंसूबों को जनता के सामने बेनकाब करने के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए। पार्टी को स्वतंत्र रूप से और अन्य धर्मनिरपेक्ष–लोकतांत्रिक पार्टियों के साथ मिलकर, दोनों तरीके से, इस लक्ष्य के लिए कार्यक्रम और कार्यनीति तैयार करनी चाहिए।

9. पंचायती राज प्रणाली विकेंद्रीकरण एवं जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए जनता के संघर्ष की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। पंचायती राज संस्थान टिकाऊ ग्रामीण विकास लाने, रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन में एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। स्कीमों के बनाने और क्रियान्वयन में ग्रामीण जनगण की भूमिका को पूरी तरह हताश किया गया है। नौकरशाही और स्थानीय सत्ता पर काबिज संभ्रात तबके के बीच साठगांठ ने पंचायती राज की जबर्दस्त संभावनाओं को धूमिल कर दिया है। हमें सक्रिय हस्तक्षेपों के जरिये पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। हमारी पार्टी को ग्राम सभाओं और सभी स्तरों पर पंचायतों के सम्मान एवं संरक्षण के लिए संघर्ष करना चाहिए।

10. पार्टी किसी भी देश के खिलाफ साम्राज्यवादी हमलों, कब्जों और डराए–धमकाए जाने का विरोध करेगी और इसके लिए भारत की जनता को लामबंद करेगी। पार्टी, फिलिस्तीन, क्यूबा, वेनेजुएला, सीरिया, कोरिया, लोकतांत्रिक जनगण राज्य और अन्य देशों की जनता के प्रति अपनी एकजुटता को जारी रखेगी। साथ ही, हम भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए संघर्ष करेंगे।

11. आज के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है विश्व भर की कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों की बढ़ती एकता। उप–क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्तर पर पार्टियों के बीच सहयोग के कई स्वरूप पहले ही अस्तित्व में हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह की सभी भूमंडलीय बैठकों का हिस्सा रही है और अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत करने में और आगे योगदान करेगी।

12. देश के वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संदर्भ में इसको बेहतरीन तरीके से लागू किए जाने के लिए पार्टी मार्क्सवाद–लेनिनवाद के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देगी।

13. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धांतनिष्ठ आधार पर भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के फिर से एकीकरण के लिए पूरी कोशिश करेगी।

14. हमारी राज्य व्यवस्था जिन खतरों का सामना कर रही है उन्हें दृष्टिगत रखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं का आंतरिकीकरण करें और जनता के सामने उन्हें दोहराऐं। दक्षिणपंथी आरएसएस–भाजपा का प्रतिरोध करने और उसे शिकस्त देने के लिए देश में वामपंथ की अच्छी–खासी उपस्थिति आवश्यक है। एक मजबूत पार्टी बनकर ही हम साम्प्रदायिक निरंकुशतावाद की ताकतों के खिलाफ संघर्ष को वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच का ऐसा संघर्ष बना सकते हैं जो राजनीतिक राह को नयी शक्ल दे सकता है। वामपंथ आरएसएस का विचारधारात्मक प्रतिद्वंदी है, और हमें इस संघर्ष को जनता तक ले जाना है। देश के लिए एक सकारात्मक कार्यक्रम लाने के लिए एक मजबूत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वक्त का तकाजा है।

15. हमें एक ऐसे व्यापक एजेंडे पर सहमति के जरिये जिसमें धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं समानता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता शामिल हो, समान सोच वाली पार्टियों और ग्रुपों को एक साथ लाने के लिए पहल करनी चाहिए। इस एकता का विचारधारात्मक आधार मजबूत और आरएसएस–भाजपा के एजेंडे और प्राथमिकताओं से मौलिक रूप से भिन्न होना चाहिए। केवल वही गठबंधन को एक वैकल्पिक दृष्टि पेश करने और अन्ततः भाजपा/आरएसएस को सत्ता से हटाने में सक्षम करेगा।

16. अतः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आह्वान करती हैः (1) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करो, (2) वामपंथी एकता को और मजबूत करो, (3) भाजपा/आरएसएस को सत्ता से हटाने के लिए प्रगतिशील ताकतों का व्यापकतर गठबंधन बनाओं, (4) समाजवाद की दिशा में सामाजिक रूपान्तरण के अपने रेडिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए रोजी–रोटी के मुद्दों पर जन–संघर्षों को तेज करो।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1. मध्यकाल में औरतों की बलियां और हत्याएं	केशव चंद्र	120.00
2. आरक्षण किसके लिए?	पी.एस. कृष्णन	30.00
3. लाल झंडे का इतिहास	अनिल राजिमवाले	50.00
4. साम्प्रदायिक इतिहास और राम की अयोध्या	रामशरण शर्मा	15.00
5. भारत में राज्य की उत्पत्ति	रामशरण शर्मा	50.00
6. मुक्तिबोध की संकलित प्रगतिवादी रचनाएं	राजेन्द्र राजन	200.00
7. राहुल निबंधावली–साहित्य	राहुल सांकृत्यायन	90.00
8. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
9. हम अच्छे कम्युनिस्ट कैसे बनें	ल्यू शाओ ची	50.00
10. विवाद ग्रस्त मस्जिद–एक ऐतिहासिक छानबीन	सुशील श्रीवास्तव	75.00
11. मजूरी, दाम और मुनाफा	कार्ल मार्क्स	25.00
12. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
13. जन–जातियों के धार्मिक विश्वास	...	330.00
		430.00 (एचबी)
14. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
15. विवेकानंद सामाजिक राजनीतक विचार	विनोय के. राय	75.00
16. हिंदू राष्ट्रवाद और उसका यथार्थ	कृष्णा झा	65.00
17. राजनैतिक अर्थशास्त्र और विश्व आर्थिक संकट	अनिल राजिमवाले	65.00
		100.00 (एचबी)
18. मार्क्सवादी डाइलेक्टिक्स की मूल समस्याएं	अनिल राजिमवाले	75.00
19. पाप और विज्ञान	डाइसन कार्टन	50.00
20. मैं नास्तिक क्यों हूं	विपिन चन्द्र	30.00
21. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
22. शिवाजी कौन थे?	गोविन्द पानसरे	60.00
23. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
24. कार्ल मार्क्स–भारत संबंधी लेख	कार्ल मार्क्स	80.00
25. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00
		125.00 एचबी
26. भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम–1857–59	कार्ल मार्क्स	200.00
27. प्राचीन भारत में जनजीवन	एस.आर. भट	30.00
28. भारत आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक का इतिहास	श्रीपाद अमृत डांगे	200.00
29. मनुष्य और समाज	.....	170.00
30. भारतीय विवाह संस्था का इतिहास	विश्वनाथ काशीनाथ राजवडे	85.00
31. बाल हृदय की गहराइयां	वसीली सुखोम्लीन्स्की	125.00
32. मां	माक्सिम गोर्की	200.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांस्कृत्यायन	60.00
34. राज्य और क्रान्ति	लेनिन	70.00
35. साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	50.00
36. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स, एंगेल्स	50.00
37. रूपवती वासिलीसा–अद्‌भुत रूसी लोक कथायें		
38. बच्चों सुनो कहानी!	लेव तोलस्तोय	175.00
39. जहां चाह वहां राह	उजबेक लोक कथाएं	170.00
40. पापा–जब बच्चे थे	अलेक्सांद्र रास्किन	100.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाषः 011–23523349, 23529823
ईमेलः pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोनः 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोनः 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोटः आप भेज सकते हैंः
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरणः
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंटः 32074674284, आई.एफ.सी. कोडः SBIN0009371

मनरेगा का पारिश्रमिक और काम के दिन बढ़ाने की ...

पेज 16 से जारी...

नहीं लाई जा रही, बल्कि विद्या और सेहत का व्यापारीकरण किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के बच्चों को बनते वजीफे नहीं दिए जाते। बुरी सेहत सहूलतों के कारण यह खेत मजदूर लगातार गरीबी की तरफ धकेले जा रहे हैं। केंद्र और राज सरकार इन खेत मजदूरों के सिर चढ़ा कर्जा माफ करने के लिए तैयार नहीं और ना ही नए सिरे से काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए व्यापारिक बैंकों और सरकारी सोसायटियों के जरीये कम ब्याज और बिना गांरटी के आधार पर कर्जा देने की कोई योजना बना रही है। दूसरी तरफ माईक्रोफाईनांस कंपनियों द्वारा मंहगी ब्याज दरों के जरिए इन खेत मजदूरों की लूट की जा रही है। गोरीया ने कहा कि केंद्र और राज सरकार इन खेत मजदूरों की जायज मांगों की तरफ ध्यान दे। अगर इस ओर जरा सी भी चूक हुई तो आने वाले समय में गांवों के खेत मजदूरों की तरफ से देश–व्यापक आंदोलन को तेज किया जाएगा।

1 अगस्त को 500 से भी ज्यादा जिला केंद्रों द्वारा रोष प्रदर्शन और धरने लगाकर देश के राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजे गये हैं। पंजाब में तरनतारन, अमृतसर, मानसा, फिरोजपुर, बठिंडा, लुधियाना, संगरुर, शाहकोट, करतारपुर, जलालाबाद, फतेहगढ़ साहिब, बरनाला, गुरदासपुर, मुक्तसर, फाजिल्का, नवांशहर आदि में रोष प्रदर्शन किए गए। इन प्रदर्शनों को गुलजार सिंह गोरीया, देवी कुमारी, कृष्ण चौहान के अलावा और कार्यकताओं ने संबोधित किया। इस दौरान शाहकोट में कोई प्रशासनिक अधिकारी मांग पत्र लेने के लिए नहीं आया। जब खेत मजदूरों ने इसके खिलाफ रोष प्रकट किया तो जिला प्रशासन ने दो खेत मजदूर नेताओं चरणजीत थंमूवाल और ज्ञान शैदपुरी वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज कर दिया। इसके खिलाफ इलाके में भारी रोष है और इन झूठे दर्ज किए गए पर्चो तुंरत रद करने की मांग की जा रही है।

केरल

तिरुवनंतपुरमः वामपंथी खेत मजदूर संगठनों के आह्वान पर राज्य में केंद्र सरकार के कार्यालयों तक मार्च निकाला गया। बीकेएमयू और केएसकेटीयू ने संयुक्त रूप से मार्च का आयोजन किया।

यह आंदोलन रोजगार गारंटी योजना को मजबूत करने, 200 दिन का रोजगार और 600 रुपये मजदूरी सुनिश्चित करने, 55 वर्ष से अधिक उम्र के सभी खेत मजदूरों को 5000 रुपये मासिक पेंशन देने और देश भर में भूमि सुधार लागू करने की मांगों पर आधारित था।

कोल्लम प्रधान डाकघर के सामने बीकेएमयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केई इस्माइल, त्रिशूर में राज्य महासचिव एजिस कार्यालय पीके कृष्णन, मलप्पुरम के प्रदेश अध्यक्ष एके चंद्रन, कट्टप्पना में भाकपा के जिला सचिव केके शिवरामन और तिरुवनंतपुरम राजभवन के सामने केएसकेटीयू के राज्य सचिव एन चंद्रन ने उद्घाटन किया और मार्च किया।

एर्णाकुल्लम में आलुवा प्रधान डाकघर के सामने केएसकेटीयू के प्रदेश अध्यक्ष एनआर बालन, कन्नूर में अनवूर नागप्पन, कोट्टायम में एडी कुंजाचन, अलाप्पुझा में पीके बीजू, वायनाड के कलपट्टा में वीके राजन, पथानामथिट्टा में एन रवींद्रन, कान्हांगड में केके दिन्सन, पलक्कड़ में देवदर्शन कोझीकोड में माकपा जिला सचिव पी मोहनन ने इसका उद्घाटन किया।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के 60 जिला केंद्रो में रोष प्रदर्शन कर मांग पत्र केंद्र सरकार को भेजे गए। इनमें भदौही, सोनभद्र, गाजीपुर, प्रतापपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़ आदि जिले शामिल हैं। इन प्रदर्शनों को फूलचंद यादव, राम कृष्ण हेगड़े, फूलचंद पाल, राजन कुमार शर्मा और चंद्रकृष्ण आजाद ने संबोधित किया।

हरियाणा

हरियाणा में पानीपत, करनाल, जींद, कैथल, फतेहाबाद, यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, गनौर, हिसार सहित 15 जिला हैडक्वार्टरों पर रोष प्रदर्शन कर मांत्रपत्र दिए गए जिनको दरियाव सिंह कश्यप, विक्रम सिंह, अरुण कुमार, जिले सिंह पाल आदि ने संबोधन किया।

बिहार

बिहार के समस्तीपुर, बेगूसराय, गया, लक्खीसराय, मधेपुरा, सहरसा सहित 25 जिला केंद्रों में रोष प्रदर्शन किया गया। इनको जानकी पासवान, राम नरेश पांडे, सूर्यकांत पासवान एमएलए, राजिन्द्र साहनी के इलावा ओर कार्यकताओं ने संबोधित किया।

राजस्थान

राजस्थान के बाडमेर, डुंगरपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, अलवर, झुनझुनु, गंगानगर, हनुमानगढ़, धौलपुर, उदैपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चितौड़गढ, सवाई माधोपुर में रोष प्रदर्शन किए गए। इनको अवतार सिंह रामगढ़िया, अजय कुमार दौसा, रशमी, गोपाल कृष्ण मीना, रोशन राठौर, संदीप मीना, राज कुमार उदयपुर आदि ने संबोधित किया।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, बांकुरा, ईस्ट मिदनापुर, नोर्थ 24 परगना, सिलीगुडी और दार्जलिंग सहित 23 जिला केंद्रों में रोष प्रदर्शन किए गए। इनको तपन गांगुली, कुंदन चौटज सहित अन्य कार्यकताओं ने संबोधित किया।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के विदिशा, ग्वालियर के अलावा और जिला केंद्रों में भी प्रदर्शन किए गए, जिनको संजीव राजपूत और कैलाश कुशवाहा ने संबोधित किया।

इनके अलावा तामिलनाडू, महाराष्ट्र, तेलगाना, पांडिचेरी, उड़ीसा आदि से भी रोष प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। खेत मजदूर जत्थेबंदियों के नेशनल प्लेटफार्म के इस आह्वान को पूरे देश में विशाल जन सर्मथन मिला है। इन मांगो को लेकर आने वाले समय में भी संघर्ष को ओर तेज किया जायेगा।

भाजपा–आरएसएस को हटाने के लिए एकजुट हो ....

पेज 1 से जारी...

गंभीर मुद्दे हैं। जाति जनगणना कराने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन भाजपा पिछड़ी जातियों में अशांति को बढ़ावा देने वाले मानदंड के रूप में जाति को शामिल नहीं करने पर अड़ी हुई है। आरएसएस के तहत पुनरुत्थानवादी मोड़ के हिस्से के रूप में लैंगिक रूढ़ियों को और मजबूत किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा वर्तमान सरकार के तहत हमेशा की तरह मामला है, इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं द्वारा महिला अधिकारों के उल्लंघन करने और उन्हें समर्थन करने वाली राज्य मशीनरी के कई उदाहरण सामने आए हैं।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर नव–उदारवादी नीतियों को आक्रामक रूप से थोपने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कृषि क्षेत्र देश में लगभग आधे कार्यबल को रोजगार देता है जो इसे हमारे अधिकांश श्रमिकों की आजीविका और हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। उत्पादकता और बढ़ती लागत को प्रभावित करने वाली खेती के तहत यह क्षेत्र अधिक से बिखरता जा रहा है। उर्वरक, निर्यात और बढ़ती बेरोजगारी से संबंधित दोषपूर्ण नीतियां ग्रामीण क्षेत्र पर दबाव डाल रही हैं। खनन क्षेत्र के तहत, लगातार निजीकरण और अक्षम नीति निर्माण के परिणामस्वरूप पूरे देश में कोयले की कमी देखी गई और परिणामस्वरूप बिजली कटौती ने नागरिक जीवन और उत्पादन दोनों को प्रभावित किया है। विनिर्माण क्षेत्र के बारे में सरकार की समझ वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती है क्योंकि हमारे निर्माताओं का एक बड़ा हिस्सा छोटे पैमाने का है। इन लघु–स्तरीय इकाइयों को उनकी उत्पादकता और संचालन को प्रभावित करने वाली नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। सेवाओं के तहत, चार घंटे के नोटिस पर लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने परिवहन, होटल, खुदरा व्यापार, मनोरंजन आदि क्षेत्रों को पूरी तरह से रोक दिया। हालांकि, अन्य गैर–भौतिक संपर्क–आधारित क्षेत्रों जैसे वित्त, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में भी गिरावट दर्ज की गई है। भाजपा ने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था, लेकिन महामारी के वर्षो में करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने और निजी क्षेत्र की बढ़ोतरी भारत में सुरक्षित और समावेशी रोजगार संरचना के लिए पहले से ही मौत की घंटी बजा रही है। इस संदर्भ में, कार्पोरेट्स की सेवा करने के बजाय एजेंडे में लोगों को वापस लाने के लिए, भाकपा एक वैकल्पिक आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव करती है जिसमें व्यापक आर्थिक प्राथमिकताओं को फिर से सुगठित करना, गरीबी उन्मूलन, अर्थव्यवस्था की संरचना को दुरूस्त करना, रोजगार पैदा करना और सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि भारतीय समाज न केवल परस्पर विरोधी हितों वाले वर्गो के बीच विभाजित है, हमारे पास जाति संरचना है जो लचीला, जिद्दी और पदानुक्रमित है और उत्तरोतर ढ़ंग से यह समान अवसरों को कम करती है और भारतीय समाज की इस श्रेणीबद्ध प्रकृति को नजरअंदाज करके कोई भी क्रांतिकारी रणनीति तैयार नहीं की जा सकती है। प्रौद्योगिकी का प्रसार फिर से मजदूर वर्ग की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। हाल ही में, कोविड़–19 महामारी ने भी काम की प्रकृति में बदलाव किए हैं। पितृसत्ता और इसके परिणामस्वरूप होने वाली कुप्रथा प्रमुख मुद्दे हैं जो हमारी आधी आबादी को अपने अधीन कर रहे हैं। हमें सामाजिक मुक्ति के लिए आगे बढ़ने और आरएसएस–भाजपा को व्यापक रूप से हराने के लिए वर्ग, जाति और पितृसत्ता के मुद्दों से निपटना होगा।

कोविड़–19 संकट ने हमारे समाज को झकझोर कर रख दिया है और हमने देखा है कि निजी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता के कारण हमारा स्वास्थ्य ढांचा इससे कैस ध्वस्त हो गया। महामारी के इन वर्षो में शिक्षा में आया फर्क, डिजिटल विभाजन और शिक्षा का बढ़ता निजीकरण, शिक्षा को कई लोगों के लिए एक दूर का सपना बना रहा है। अधिकांश ग्रामीण भारत में प्रचलित अनिश्चित जीवन स्तर के साथ भूमिहीनता की घटनाएं बढ़ रही हैं। भूमिहीनता और पलायन ने आवास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को जटिल बना दिया है और बेरोजगारी का संकट हमारे सामने गहराता जा रहा है। मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि भाकपा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा, भूमि, आवास, रोजगार और खाद्य सुरक्षा को हमारे एजेंडे की मूलभूत मांगों के रूप में स्थापित करे।

इस चर्चा के बाद, भाकपा और विपक्ष का एजेंडा बुनियादी रूप से उससे अलग होना चाहिए जिसे भाजपा–आरएसएस आर्थिक और सामाजिक रूप से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस–भाजपा के खिलाफ एकता को मजबूत करने के लिए एक लेफ्ट ऑफ सेंटर रूख की जरूरत है। इस एकता को कायम करने के लिए वामपंथियों को पहल करनी होगी। हमें अपने संविधान की रक्षा के लिए राजनीतिक दलों, जन और वर्ग संगठनों और सामाजिक आंदोलनों की एक व्यापक एकता बनाने और आरएसएस और भाजपा की निर्णायक और जहरीली नीतियों के खिलाफ अपने एकजुट संघर्ष को तेज करने का लक्ष्य रखना चाहिए। भाकपा राष्ट्र और उसके लोगों के मूलभूत हितों की रक्षा में वामपंथ की भूमिका के बारे में स्पष्ट है। इसी स्पष्टता के साथ भाकपा ने वामपंथी एकता का झंडा बुलंद किया है। भाकपा का मानना है कि भारतीय राजनीति में वामपंथ के एक मजबूत और स्वतंत्र पिलर बनन के लिए भारत में सैद्धांतिक आधार पर कम्युनिस्ट आंदोलन का एकीकरण समय की मांग है।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 7 – 13 अगस्त, 2022

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 05.8.2022

विधायिका में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग

एनी राजा

भारत में महिलाओं के सबसे पुराने और बड़े महिला संगठन भारतीय महिला फेडरेशन (एनएफआईडब्ल्यू) ने विधायिका में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण के लिए एक विधेयक पेश करने की मांग को लेकर 1 अगस्त2022 को अपना नौ दिवसीय धरना जंतर–मंतर पर शुरू किया। विभिन्न राज्यों से महिलाएं धरने में शामिल हुई हैं। यह धरना 9 अगस्त तक चलेगा।

योजना आयोग की पूर्व सदस्य, कार्यकर्ता और लेखिका सैयदा हामीद ने धरने का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि, ''यदि आजादी के 75 साल बाद भी संसद में केवल 14 प्रतिशत महिला सांसदों की भागीदारी है तो आजादी के अमृत महोत्सव की धूमधाम अर्थहीन है''। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि 25 साल पहले 1996 में संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के लिए महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था, और इस तरह यह भारतीय जनतंत्र पर एक बड़ा धब्बा रहा है कि परवर्ती सरकारें इस विधेयक को पारित करने में असफल रही है।

एनी राजा, एनफआईडब्ल्यू की महासचिव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लगातार दो कार्यकाल में रहने के बावजूद इस बिल पर उनकी चुप्पी पर ध्यान दिलाया। उन्होंने सवाल उठाया कि आप कैसे अमृत काल का जश्न मना सकते हैं जब कि देश की आधी आबादी का ''सदन'' में अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है?''

उन्होंने आगे कहा कि यह एक विडंबना है यद्यपि भाजपा और अन्य राजग घटकों समेत ज्यादातर राष्ट्रीय दलों ने अपने चुनावी घोषणापत्र में इस महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन देने का वायदा किया था, लेकिन यह लगातार कथनी अलग करनी अलग वाली बात रही है। इस विधेयक को आगे प्रेषित करने के लिए इस सरकार की नाकामयाबी उनकी महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण पर मनुवादी विचारधारा का एक अन्य उदाहरण है।

एनएफआईडब्ल्यू सचमुच उम्मीद करती है कि यह सरकार भारतीय महिलाओं की बात सुनेगी और उनकी बात का सम्मान करेगी। एनएफआईडब्ल्यू आजादी के इस 75वें साल पर मांग करती है कि महिलाओं को कानून द्वारा विधायिका में एक समान प्रतिनिधित्व मिले।

खेत मजदूर संगठनों के संयुक्त राष्ट्रीय मंच का आह्वान

मनरेगा का पारिश्रमिक और काम के दिन बढ़ाने की मांग

गुलजार सिंह गोरीया

खेत मजदूर संगठनों के संयुक्त राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर 1 अगस्त को राष्ट्रव्यापी धरने और प्रदर्शनों के आयोजन किये गये और राष्ट्रपति को संबोधित मांगों के ज्ञापन सौंपे गये। खेत मजदूर संगठनों की मांगों में मुख्य रूप से काम के दिनों को बढ़ाकर 200 दिन करने और दैनिक पारिश्रमिक को 600 रूपये करना, मनरेगा को जातिय आधार पर बांटना बंद करना, महंगाई पर रोक लगाना, मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी, मनरेगा मजदूरों के रूके हुए पारिश्रमिक को तुरंत भुगतान करने, खेत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 5000 रूपये मासिक पेंशन देने, खेत मजदूरों का 10 मरले प्लॉट और घर बनाने के लिए 5 लाख रूपये देने, जन वितरण प्रणाली को सर्वजनीन बनाने आदि की मांगे शामिल थीं। खेत मजदूर संगठनों के राष्ट्रव्यापी संघर्ष शुरू करने के आह्वान पर पूरे देशभर में धरने और प्रदर्शनों के आयोजन किये गये।

पंजाब

लुधियाना: देश भर की खेत मजदूर जत्थेबंदियों के संयुक्त प्लेटफार्म की तरफ से डिप्टी कमिश्नर लुधियाना के दफ्तर के समीप विशाल रोष मार्च करके एक मांग पत्र देश के प्रधानमंत्री के नाम भेजा गया। धरने को संबोधित करते हुए भारतीय खेत मजदूर यूनियन के महासचिव गुलजार सिंह गोरीया ने कहा कि केंद्र और राज सरकार गांव के खेती मजदूरों के जीवन निर्वाह के लिए नए कार्य का प्रबंध करे। इन खेती मजदूरों को पूरा वर्ष खेतों में कार्य नहीं मिलता, जिस कारण इनकी आमदनी भी लगातार घटती जा रही है। तेजी से बढ़ रही मंहगाई और केंद्र सरकार की तरफ से जरुरी वस्तुओं पर लगाए जा रहे टैक्स के कारण इनका जीवन बसर करना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार रोजगार के कानून मनरेगा में कम से कम 200 दिन कार्य और 600 रुपये दिहाड़ी दी जाए। केंद्र सरकार ने मौजूदा वर्ष में 25 प्रतिशत से भी ज्यादा बजट में कटौती की थी जिसके कारण आज भी करोड़ों रुपयों के मनरेगा के बकाए अदा नहीं किए गए हैं जिस कारण आगे का कार्य भी बंद हो गया है।

गोरीया ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के अदारों का लगातार निजीकरण हो रहा है। मोदी सरकार द्वारा अपने कारपोरेट घराने के दोस्तों को मालोमाल किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में यह सरकार रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं और ना ही नौकरियों में बैकलॉग पूर्ण किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से बुढ़ापा और विधवा पेंशन एक मजाक का पात्र बन कर रह गया है। यह सरकार खेत मजदूरों के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति महीना पेंशन देने के लिए तैयार नहीं। बेघर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन सिर्फ प्रचार द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। इनके लिए 10–10 मरले के प्लॉट और 5–5 लाख रुपये मकान की उसारी के लिए ग्रांट देने की कोई योजना है। केंद्र और राज सरकारों के भूमि सुधारों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। खेत मजदूरों की मजदूरी में भी इजाफा करने का नाम तक भी नहीं लिया जा रहा और ना ही जनवितरण–प्रणाली अधीन जरुरी वस्तुओं की सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। मोदी सरकार के आने के पश्चात दलितों और औरतों के उपर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज सरकार की ओर से अनुसूचित जाति छोटी योजना को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार आज भी इन खेत मजदूरों के जीवन में सुधार लाने के लिए विस्तृत केंद्रीय कानून बनाने को तैयार नहीं है। गांव के खेत मजदूरों के लिए बराबर गुणवता की विद्या मुफ्त देने के लिए कोई योजना

शेष पेज 15 पर...

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.